रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

<u>फ्रैंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन</u> :

जोधपुर और पाली (राजस्थान) से संबंधित रिपोर्ट

<u>इराडे</u> विकास संबंधी एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई

28 फरवरी, **2007**

सी-**50**, छोटा सिंह ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज कांप्लेक्स, खेलगांव

नई दिल्ली-**110049**, भारत, दूरभाष सं. **91 11 26495522**/ टेलीफेक्स-**91 11 26495523**

(**www.irade.org**)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन

(भारत सरकार का एक उपक्रम**)**

<u>प्रैंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन</u> **:**

जोधपुर और पाली **(**राजस्थान**)** से संबंधित रिपोर्ट

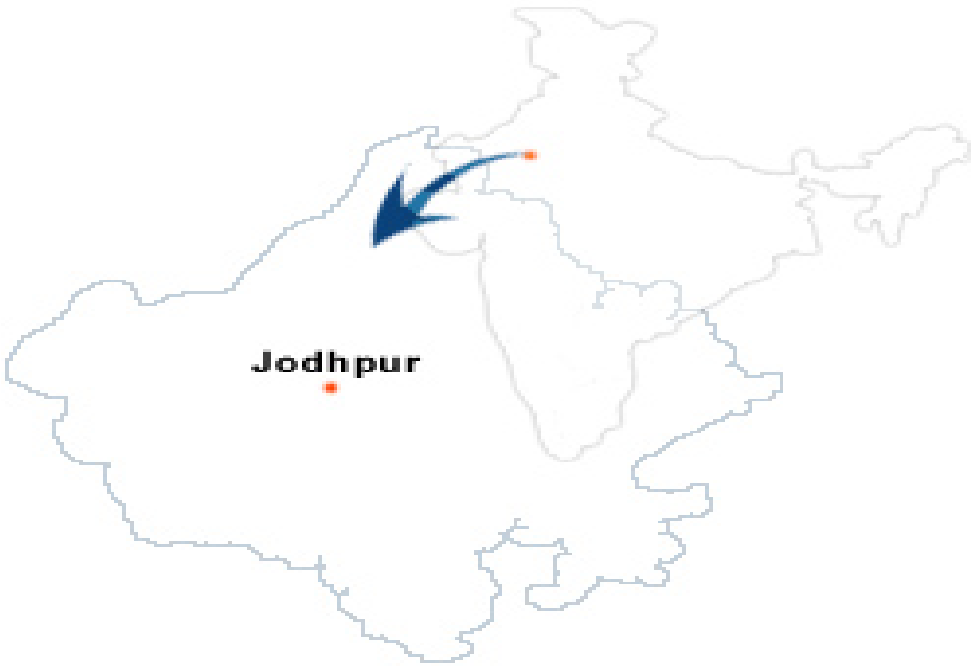

विकास संबंधी एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाईनिम्नलिखित

<u>के नेतृत्व मे</u>

डॉ. के.के. गोविल
प्रो. ज्योति पारिख

<u>दल के सदस्यः</u>

श्री सुधीर वर्मा
चम्पक बड़गोहैन
गुरिना बजाज

28 फरवरी, **2007**

सी-**50**, छोटा सिंह ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज कांप्लेक्स, खेलगांव, नई दिल्ली-**110049**,

भारत, दूरभाष सं. **911126495522**/टेलीफेक्स-**911126495523(**www.irade.org**)**

<u>विषय-वस्तु</u> <u>पृष्ठ सं.</u>

I आभार I

II. कार्यपालक सारांश II

1. विद्युत वितरण प्रणाली-राजस्थान

2. ग्रामों में विद्युत वितरण

3 प्रैंचाइजी प्रणाली का समारंभ

3.1 प्रैंचाइजी की परिभाषा

3.2 एकल बिंदु आपूर्ति योजना में एजेंट/ प्रैंचाइजी नियुक्त करने के लाभ

3.3 एजेंट/प्रैंचाइजी स्थापित करने के लिए राजस्थान

3.3.1 एकल बिंदु आपूर्ति योजना के अधीन डीटीआर चयन करने के मापदंड

3.3.2 एजेंट/प्रैंचाइजी के चयन के मापदंड

3.3.3 एजेंट/ प्रैंचाइजी नियुक्त करने की प्रक्रिया

3.3.4 एजेंट के कार्य और करार की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणियां

3.3.5 एजेंसी/प्रैंचाइजीज की जिम्मेदारियां

3.3.6 एजेंट/प्रैंचाइजी के प्रति राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की जिम्मेदारी

3.4 राजस्थान राज्य में प्रैंचाइजी प्रणाली लागू करना

4.0 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देश

4.1 राज्यों की जिम्मेदारियां

4.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम में शामिल परियोजनाएं

4.3 प्रैंचाइजीज

4.4 राजस्व निरंतरता

4.5 केंद्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं

5.0 आरईसी दिशा-निर्देश

5.1 ग्रामीण वितरण प्रबंधन में प्रैंचाइजी की भूमिका

5.2 प्रैंचाइजी मॉडल

6.0 राज्य में कार्य कर रही प्रैंचाइजी प्रणाली की स्थिति

7.0 नमूने के गांवों का चयन

8.0 फील्ड सर्वेक्षण करने की विधि

8.1 सर्वेक्षण का फार्मेट तैयार करना

8.2 अध्ययन करने की संगठन प्रणाली

8.3 ग्रामों में फील्ड सर्वेक्षण

8.4 आंकड़े समेकित करना और निष्कर्ष निकालना

9.0 सर्वेक्षण किए गए ग्रामों के संबंध में आंकड़े और सूचना

10.0 नमूना सर्वेक्षण के परिणामों की व्याख्या

11.0 प्रैंचाइजी प्रणाली के कार्य

11.1 नियुव्ति का तरीका

11.2 चयन में पारदर्शिता

11.3 प्रलेखन/ करारः

11.4 प्रतिभूति जमा

11.5 संचालन अनुभव/ समस्याएं

12.0 प्रैंचाइजी प्रणाली का प्रभाव

12.1 बिलिंग

12.2 राजस्व वसूली

12.3 उपभोक्ताओं की संतुष्टि

12.4 वितरण प्रणाली प्रबंध

12.5 वितरण नेटवर्क

12.6 प्रैंचाइजी द्वारा दिए गए कनेक्शन

12.7 रोजगार सृजन

13.0 प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रैंचाइजी

14.0 प्रैंचाइजी प्रणाली का आदर्श और प्रकार

15.0 राजस्व स्थायित्व

15.1 थोक आपूर्ति टैरिफ

15.2 पूर्णरूपेण बोली

15.3 राज्य द्वारा राजस्व सब्सिडी

16.0 राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

17.0 प्रैंचाइजी प्रणाली के कारण सुधार

18.0 प्रौद्योगिकी सुधार

19.0 सभी और गरीबी रेखा से नीचे के कनेक्शनों तक बिजली की पहुंच

20.0 प्रैंचाइजी प्रणाली के लिए मानीटरिंग तंत्र

21.0 प्रैंचाइजी प्रणाली के विकल्प

22.0 प्रैंचाइजी प्रणाली की सफलता

22.1 दिशा-निर्देशों का परिपालन

22.2 लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता

23.0 निष्कर्ष

24.0 तालिकाएं

1. आवासों का आय स्तर

2. ग्रामों को कुल वितरित ऊर्जा आपूर्ति और राजस्व वसूली में वृद्धि

3. ग्राम में परिवार/ उपभोक्ता

3(ख) ग्राम में परिवार/ उपभोक्ता

4. ग्राम के आवास की विशेषताएं

5(क) ग्रामों में आर्थिक क्रियाकलाप

5(ख) ग्रामों में आर्थिक क्रियाकलाप

6. मकानों के निर्माण का प्रकार

7(क) ग्राम में उपयोग किए जाने वाले विद्युत साधित्र

7(ख) ग्राम में उपयोग लाए जाने वाले विद्युत साधित्र

8. उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत स्रोत

9. प्रति उपभोक्ता कनेक्टेड लोड

10. ग्राम में विद्युत नेटवर्क

11. लगाए गए मीटर

12. ग्राम में नेटवर्क की लंबाई

13. फ्रैंचाइजी द्वारा किए जाने वाले कार्य

14. फ्रैंचाइजी द्वारा दिए गए कनेक्शन

15. फ्रैंचाइजी की प्राप्तियां और व्यय

16. फ्रैंचाइजी के कर्मचारी

17. उपभोक्ताओं में वृद्धि

18. उपभोक्ता फीडबैक

19. टैरिफ ढांचा

20. खुदरा टैरिफ

21. मीटर रीडिंग और बिलिंग

22. क्या मीटर लगे है?

23. क्या उन्हें मीटर मुहैया कराया गया है?

24. बिल वसूली का तरीका

25. प्रैंचाइजी द्वारा वसूली

26. मीटर रीडिंग और बिलिंग

27. ग्राम पंचायत - फीडबैक

28. ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में प्रमाण-पत्र जारी किया गया

29. प्रैंचाइजी का प्रशिक्षण

30. विद्युतीकृत ग्रामों में प्रैंचाइजी का कार्य

31. प्रैंचाइजी की समस्या - फीडबैक

32. प्रैंचाइजी की प्रशिक्षण समस्या

आभार

हम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम) के आभारी हैं, जिन्होंने राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली के मूल्यांकन नामक अध्ययन करने के लिए हमें वित्तीय सहायता प्रदान की है। हम विद्युत विभाग, राजस्थान के कार्मिकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने में विकास संबंधी एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई (इराडे) के दल को सहयोग प्रदान किया है। हम अन्य तमाम विशेषज्ञों का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन इस अध्ययन के मानक को बनाए रखने में काफी महत्त्वपूर्ण रहे।

कार्यपालक सारांश

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन अप्रैल, 2005 से प्रैंचाइजी प्रणाली की प्रक्रिया आरंभ की है, जिसे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ग्रामों में वितरण प्रणाली प्रबंधन के लिए प्रैंचाइजी नियुक्त करना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान की पात्रता प्राप्त की जा सके।

आरईसी ने जोधपुर और पाली जिलों में नमूना ग्रामों के माध्यम से राजस्थान राज्य में विकास संबंधी एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई (इराडे) को प्रैंचाइजी प्रणाली के अध्ययन का कार्य सौंपा। विकास संबंधी एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई राजस्थान के जयपुर जिले और पाली जिले में नमूना ग्रामों के अध्ययन के माध्यम से प्रैंचाइजी प्रणाली के मूल्यांकन करने का एक प्रयास है, जिसमें जोधपुर वीवीएनएल द्वारा प्रैंचाइजी का चयन किया गया था। अभी तक पाली जिले के किसी ग्राम (बाली पंचायत समिति के 20 ग्राम) को प्रैंचाइजी को नहीं सौंपा गया है। जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत के 31 ग्रामों में से 9 अभी तक (फरवरी, 2007 के अंत तक) ग्राम प्रैंचाइजी को सौंपे गए हैं। यह रिपोर्ट बालेसर पंचायत समिति के इन 9 ग्रामों के गहन फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित है।

ग्रामों के फील्ड सर्वेक्षण के परिणामों की मुख्य-मुख्य बातों का सारांश इस प्रकार है

- **प्रैंचाइजी का चयन**

  प्रैंचाइजी का चयन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दी गई प्रक्रिया और मार्गदर्शन तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से किया गया था।

  वितरण कंपनी जोधपुर ने जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति के 31 ग्रामों के संबंध में बिजली की आपूर्ति, मरम्मत, अनुरक्षण, राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग और बिलिंग आदि के लिए मार्च, 2006 में समाचार-पत्रों में विज्ञापन के जरिए टेंडर

आमंत्रित किए थे। 10.02.2006 को बातचीत के बाद 31 गांवों के लिए एक प्रैंचाइजी का चयन किया गया था।

शुरू में, प्रैंचाइजी को ऐसे 7 ग्राम दिए गए हैं, जिनमें फीडर नवीकरण कार्यक्रम (एफआरपी) पूरा कर दिया गया है। बाद में प्रैंचाइजी को दो और ग्राम मंजूर किए गए हैं। शेष ग्रामों में एफआरपी के अधीन कार्य किया जा रहा है, जिन्हें उसके पश्चात राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन प्रैंचाइजी को सौंपा जाएगा।

- **प्रैंचाइजी की जिम्मेदारी**

प्रैंचाइजी की जिम्मेदारियों में मीटर रीडिंग, बिल वितरण, राजस्व वसूली और विद्युत तंत्र की स्थिति के संबंध में यूटिलिटी को फीडबैक देना और नए विद्युत कनेक्शन दिए जाने में सहायता करना शामिल है।

- **प्रैंचाइजी प्रकार और माडल**

इस मामले में अपनाया गया प्रैंचाइजी का माडल **दी गई ऊर्जा पर आधारित वसूली तंत्र और प्रोत्साहन माडल** है। चयन किए गए प्रैंचाइजी का स्वामी मैसर्स बसंत कुमार पुत्र श्री छोटे लाल नामक एक व्यक्ति है। यह 'ए' ग्रेड लाइसेंसधारी विद्युत संविदाकार है।

प्रैंचाइजी ने 50,000/- रुपए की प्रतिभूति की रकम नकद रूप में जमा की है और शेष 50,000/- रुपए की रकम को 5000/- रुपए प्रति माह की किस्तों में 10 माह में देने की सहमति व्यक्त की है। प्रैंचाइजी के पास उसकी प्रैंचाइजी में कार्य करने वाले 6 व्यक्तियों का दल है। उनमें से एक आईआईटी से योग्यताप्राप्त है। यह प्रैंचाइजी उस स्थिति में जनशक्ति में वृद्धि करना चाहता है, जैसे ही और अधिक गांव इस प्रैंचाइजी को सौंपे जाते हैं।

- **फ्रैंचाइजी प्रणाली का प्रभाव**

फ्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद राजस्व हानियों में कमी और उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर में काफी सुधार देखा जा सकता है। फ्रैंचाइजी के दो माह तक कार्य करने में हानियों का स्तर 41 प्रतिशत से घट कर 7.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

ग्रामवासियों से चर्चा करने के बाद पता चला कि उन ग्रामों में बिजली की आपूर्ति और बिलिंग में संतोषजनक सुधार हुआ है, जहां फ्रैंचाइजी कार्य कर रहे हैं। प्राप्त की गई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और 85 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं ने बताया कि वे फ्रैंचाइजी की सेवाओं से संतुष्ट हैं।

मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी फ्रैंचाइजी द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद चोरी की घटनाओं में काफी कमी हुई है। इसके कामगार नियमित रूप से (एक माह में दो बार) ग्राम में जाते हैं और मीटर रीडिंग की रिकार्डिंग का जायजा लेते हैं।

हालांकि राजस्थान में फ्रैंचाइजी प्रणाली हाल ही में शुरू की गई है, परंतु 9 ग्रामों में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

- **फ्रैंचाइजी के सामने आने वाली समस्याएं**

वर्तमान में यह फ्रैंचाइजी पंचायत समिति बालेसर को स्वीकृत 31 ग्रामों में से केवल 9 ग्रामों में कार्य कर रहा है। इससे फ्रैंचाइजी का कार्य अकुशल हो गया है और खर्चीला भी है। ऐसा अनुमान है कि जैसे ही फ्रैंचाइजी को सभी 31 स्वीकृत ग्राम सौंपे जाएंगे, यह फ्रैंचाइजी के लिए भी वित्तीय दृष्टि से अनुकूल रहेगा।

- **बिलिंग प्रक्रिया**

अब बिलिंग प्रक्रिया बहुत सुविधाजनक है क्योंकि फ्रैंचाइजी उस क्षेत्र में बिल वितरण को नियमित और समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रैंचाइजी द्वारा एगोलई वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रत्येक उपभोक्ता से राजस्व वसूली की जाती है, जो

उसके बाद प्रैंचाइजी द्वारा पंचायत समिति बालेसर के वितरण कंपनी आफिस में जमा कर दी जाती है।

प्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद राजस्व की वसूली 2.622 लाख रुपए से 16.85 प्रतिशत बढ़कर 3.064 लाख रुपए हो गई है।

- **प्रशिक्षण**

वितरण कंपनी ने प्रैंचाइजी के कामगारों को अपने काम के अनुकूल बना लिया है। अब प्रैंचाइजी किसी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं बताते।

- **आपूर्ति**

प्रैंचाइजी के कार्यभार संभालने से पहले इन ग्रामों में एक दिन में 6-7 घंटे की अनियमित विद्युत आपूर्ति होती थी। प्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद रात में 12 घंटे तक सिंगल फेज दिन में लगभग 6 घंटे के लिए तीन फेज़ की आपूर्ति की जाती है।

- **मीटर रीडिंग**

पहले मीटर रीडिंग दो-तीन महीनों में की जाती थी। यहां तक कि कभी-कभी औसत खपत के आधार पर बिलिंग की जाती थी। प्रैंचाइजी की तैनाती से एक माह में दो बार मीटर रीडिंग सुनिश्चित की जाती है और दो माह में एक बार नियमित रूप से बिल तैयार किए जाते हैं। प्रैंचाइजी और वितरण कंपनी हर महीने बिल भेजने पर कार्य कर रहे हैं।

- **उपभोक्ताओं से फीडबैक**

पहले उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्रवाई करने में काफी समय लग जाता था। अब प्रैंचाइजी के कामगार ग्राम में उपस्थित रहते हैं और यथासंभव शीघ्र शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं।

यह बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार है। लाइन का खराब होना, वोल्टता का गिरना और रुकावट होना अब बिल्कुल कम हो गया है।

बिजली की आपूर्ति और वोल्टता में वृद्धि होने के कारण बिजली की मशीनों और साज-सामान का इस्तेमाल बढ़ गया है। विश्वास है कि इससे उस क्षेत्र के ग्रामों की आर्थिक कुशलता में भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

- **नए कनेक्शन देना**

  पिछले दो माह में फ्रैंचाइजी ने 17 नए घरेलू कनेक्शन (एपीएल को) दिए हैं। नए कनेक्शन देने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार ये वितरण कंपनी के माध्यम से दिए जाते हैं। वितरण कंपनी के अनुमोदन के बाद फ्रैंचाइजी नए कनेक्शन देता है। देखा गया है कि नए कनेक्शनों की मांगें लंबित पड़ी हुई हैं लेकिन सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण ये कनेक्शन नहीं दिए जा सके।

- **बीएसटी को वितरण कंपनियों ने व्यवहार्य नहीं पाया है**

- **पंचायत से फीडबैक**

  बताया गया है कि लगभग 80 से 90 प्रतिशत उपभोक्ता फ्रैंचाइजी प्रणाली से संतुष्ट हैं। इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ता संतुष्ट हैं। वे ऐसा महसूस करते हैं कि इन मीटरों से बिजली की क्षति न्यूनतम होती है।

  उपभोक्ता हालांकि पूर्व भुगतान मीटरिंग प्रणाली से सहमत नहीं होते हैं। लगभग सभी उपभोक्ताओं ने यह महसूस किया है कि टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

- **नई प्रौद्योगिकियां** इंटेलीजेंट ब्राड बैंड पावर लाइंस (बीपीएल)/ पावर लाइन सप्रेषण (पीएलसी) प्रणाली विद्यमान मध्यम और न्यून वोल्टता विद्युत खरीद पर पूर्ण इंटेग्रेटिड स्मार्ट ग्रिड एप्लीकेशन और वाणिज्यिक ब्राड बैंड सप्रेषण सेवा मुहैया कराने के लिए व्यवहार्य है। बीपीएल के लिए विद्युत नेटवर्क में बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कुछ बैक-अप पावर (सौर या यूपीएस) की जरूरत होगी ताकि उसे चालू

रखा जा सके। बीपीएल/ पीएलसी प्रणाली के जरिए ई-मेल सेवा आईपी-आधारित टेलीफोन और डाटा कनेक्टिविटी व्यवहार्य हैं, भले ही इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का प्रयोग करने का पर्याप्त ज्ञान और कौशल नहीं हैं, परंतु विद्युत के वितरण को सम्बद्ध करने वाले सप्रेषणों के बारे में काफी बाद में ग्रामों में प्रैंचाइजी के लिए एकीकृत कारोबार के अवसर पैदा कर सकता है।

- **निरंतरताः** ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली काफी व्यवहार्य है, क्योंकि यह अपने बुनियादी ढांचे में वित्तीय दृष्टि से काफी मजबूत है।

1. विद्युत वितरण प्रणाली-राजस्थानः

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन 1960 के आस-पास की गई थी। भूमि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है और इसमें पानी की कमी बनी रहती है। लेकिन राजस्थान में कृषि की संभावना काफी है बशर्ते कि सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जा सके। राजस्थान के आवासीय क्षेत्रों में भूजल का स्तर बहुत नीचे है। कृषि भूमि की सिंचाई के लिए गहरे नलकूपों का उपयोग किया जाता है।

राजस्थान राज्य में समस्त बिजली क्षेत्र की व्यवस्था 2000 तक राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड करता था, जिसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण भी शामिल है। हाल ही में राजस्थान विद्युत बोर्ड को विभाजित कर दिया गया है और विद्युत उत्पादन के कारोबार का वितरण कार्य पांच अलग-अलग कंपनियों में बांटकर पुनर्गठित किया गया है।

राजस्थान में वर्तमान यूटिलिटी में निम्नलिखित शामिल है

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - उत्पादन कंपनी
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड - राजस्थान की ट्रंसमिशन यूटिलिटी
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - वितरण कंपनी
4. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - वितरण कंपनी
5. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - वितरण कंपनी

राजस्थान राज्य में तीन वितरण कंपनियां ग्रामीण विद्युतीकरण सहित अपने प्रचालन क्षेत्र में वितरण प्रणाली के प्रबंध के लिए जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार मार्च, 2012 तक ग्रामों सहित सभी आवासों में बिजली मुहैया करने के लिए जिम्मेदार हैं।

राजस्थान की तीनों वितरण कंपनियां राजस्थान के सभी प्रमुख जनसंख्या वाले केंद्रों और लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मुहैया करती हैं। राज्य में सिंचाई के नलकूपों के लिए विद्युत ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और बिजली की मांग बढ़ती जा रही है।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम काफी पहले राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा शुरू कर दिया गया था। बड़ा भू-भाग होने के कारण राज्य में वितरण तंत्र भी बढ़ा है और इससे तकनीकी क्षतियां तथा कर्मचारियों की संख्या और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत भी बढ़ी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2004 का उद्देश्य 2009 तक सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करना और वर्ष 2012 तक सभी आवासों में बिजली मुहैया करना है।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड वित्तीय मामले में ऐतिहासिक रूप से सुदढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान की सब्सिडी मांग पानी की सिंचाई की बढ़ी मांग के कारण अधिक है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में ताप विद्युत प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए विद्युत खरीद की लागत अधिक है। विद्युत आपूर्ति के लिए कुशल बिलिंग और वसूली तंत्र वाली एक दक्ष वितरण प्रबंधन प्रणाली राज्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रैंचाइजी प्रणाली इस परिप्रेक्ष्य में वितरण प्रणाली प्रबंधन के लिए उपयोगी हो सकती है।

2. ग्रामों में विद्युत वितरणः

ग्रामों के विद्युतीकरण से बहुत कम मांग वाले ग्राहक मिल पाते हैं और ये ग्राहक भौगोलिक रूप से दूर-दूर हो सके हैं और नहीं भी। इसके परिणामतः बुनियादी सुविधाओं की लागत अपेक्षित प्रतिफल की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। पंपसेट को काफी रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति की पूर्व निर्धारित समान दर पर करनी होती है और वितरण तंत्र का विस्तार ज्यादा होता है जिससे विद्युत ऊर्जा के क्षरण का मुख्य कारण बन गया है। परिणामतः अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड दिवालिया हो गए हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक रूप से टिकाऊ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद एक आवश्यकता बन गया है जिससे राज्य विद्युत बोर्डों को विभाजित कर दिया गया है और भारत सरकार ने 2012 तक सभी आवासों को बिजली मुहैया कराने की नीति की घोषणा की है। भारत सरकार की नीति के लक्ष्य इस प्रकार है

- 2007 तक सभी ग्रामों और बस्तियों को बिजली
- 5 वर्षों के अंदर अर्थात 2010 तक सभी आवासों (जिसमें ग्रामीण आवास भी शामिल हैं) को बिजली मुहैया कराना
- गरीबी रेखा से नीचे के सभी आवासों को 2012 तक कनेक्श (निशुल्क) अवश्य दिए जाएं।

इस प्रकार भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की, जिसमें नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी) को बनाया गया है। आरईसी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के चल रहे कार्यक्रम निम्नलिखित है

- एक लाख ग्रामों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण; और
- ग्रामों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

ग्रामों में विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास की दृष्टि से इन कार्यक्रमों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया है।

इस प्रकार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरईसी के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन राज्यों को काफी अनुदान दिया है ताकि वे प्रत्येक गांव में ग्रामीण विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाएं जुटा सकें। इन अनुदानों का इस्तेमाल निम्नलिखित की स्थापना के लिए किया गया है

क) प्रत्येक ब्लॉक में 33/11 केवी (या 66/11 केवी) के कम से कम एक सब स्टेशन वाला ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन।

ख) प्रत्येक ग्राम/ बस्ती में कम से कम एक वितरण ट्रंसफार्मर वाली ग्रामीण विद्युतीकरण मूल सुविधा।

ग) यदि ग्रिड से आपूर्ति व्यवहार्य न हो या मंहगी पड़ती हो, तो विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन प्रणाली।

ग्रामीण विद्युत का ढांचा ग्रामों में विद्युत वितरण के लिए पूर्व आवश्यकता है और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्रामों के जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी लाने की एक शुरुआत है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य इस तरीके से ग्रामों में आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करना है कि यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो। ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे का तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाएं सृजित करना है

- ग्रामीण विकास
- कृषि की सिंचाई
- लघु उद्योगों को बढ़ावा
- शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी को सहायता
- स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रोत्साहन देना
- कृषि उत्पादों के लिए शीत भंडार और उनका परिरक्षण
- रोजगार के अवसर पैदा करना
- गरीबी दूर करना
- पीने का पानी उपलब्ध कराना

ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे की निरंतरता, ग्रामों की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है ताकि उपर्युक्त आर्थिक गतिविधियों में सुविधा मिल सके। यह निरंतरता निम्नलिखित दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है

1) ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा बिजली उपलब्ध करने के लिए सुव्यवस्थित होना चाहिए और उपभोक्ताओं के बीच बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसे और मजबूत करना व्यवहार्य होना चाहिए।

2) विद्युत आपूर्ति की कीमत वसूली जानी चाहिए ताकि सुचारु ढंग से ऐसा राजस्व प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके जिससे ग्रामों में विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति को बनाए रखा जा सके।

3) ग्रामों में लागू की गई वितरण प्रबंध प्रणाली वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए। यूटिलिटी के व्यय को प्रत्येक गांव में वसूल किए गए राजस्व से पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।

भले ही, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम भारत में 1966-67 में आरंभ किया गया था। कुल की लगभग 80 प्रतिशत आबादी वाले ग्रामों की जनसंख्या के लिए विद्युत मूल ढांचा सृजित किया गया, परंतु वाणिज्यिक व्यवहार्यता न होने के कारण पिछले समय में उपलब्धियां बहुत कम रहीं। विद्युत अधिनियम, 2003 को पारित किए जाने के बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अभिप्राय प्रभावी ग्रामीण विद्युतीकरण में परिणाम लाना है।

3.0 प्रैंचाइजी प्रणाली का आरंभः

भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन ग्रामीण वितरण प्रणाली के लिए राजस्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रैंचाइजी विकास अनिवार्य कर दिया था। इस प्रणाली के माध्यम से हितधारकों और वितरण कंपनियों के बीच इनकी भागीदारी आरंभ करने के लिए एक प्रयास किया गया है। इस बात भी विचार किया गया है कि इस प्रणाली से महिलाओं, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और बेरोजगार युवकों का आर्थिक सशक्तीकरण होगा। व्यक्तिगत उद्यम, पंचायत संस्थाओं को भी इससे सहयोजित किया जाएगा।

3.1 प्रैंचाइजी की परिभाषाः

प्रैंचाइजी एक व्यक्ति के या एक संस्था के रूप में होता है, जो कारोबार करने में अपनी मूल संस्था की सहायता करता है और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है कोई एक व्यक्ति, समूह या कारोबार की संस्था, जिसे बिजली के वितरण का व्यवसाय करने में कोई विशेष अधिकार दिया गया हो, जो उसके उत्पादों की बिक्री के लिए किसी दूसरी अधिकारप्राप्त संस्था के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो और किसी संस्था के व्यापार चिन्ह के अधीन किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रहा हो और मूल संस्था द्वारा तैयार किए गए नियमों और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा हो और मूल संस्था द्वारा मुहैया कराई गई सेवा और सुविधाओं के बदले उसे शुल्क, रायल्टी अथवा कोई अन्य उपयुक्त प्रतिपूर्ति दे रहा हो।

वितरण कंपनी, जोधपुर ने जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति के 31 ग्रामों के लिए बिजली की आपूर्ति, मरम्मत, अनुरक्षण, राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग और बिलिंग आदि के लिए मार्च, 2006 में समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर टेंडर आमंत्रित किए थे। 31 ग्रामों के लिए 10.02.2006 को बातचीत के बाद एक प्रैंचाइजी का चयन किया गया था।

शुरू में इस प्रैंचाइजी को 7 ग्राम दिए गए, जिनमें फीडर नवीकरण कार्यक्रम पूरा हो गया था। उसके बाद प्रैंचाइजी को दो और ग्राम स्वीकृत किए गए हैं। शेष ग्रामों में फीडर नवीकरण कार्यक्रम के अधीन कार्य किया जा रहा है, जिन्हें उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन प्रैंचाइजी को सौंप दिया जाएगा।

3.2 एकल बिंदु आपूर्ति योजना में एजेंट/ प्रैंचाइजी नियुक्त करने के लाभ

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की दृष्टि से एजेंट/प्रैंचाइजी की प्रणाली एकल बिंदु आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए अपनाई गई ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके और निम्नलिखित युक्तियुक्त तरीकों से बेहतर ढंग से राजस्व वसूली की जा सके

- इस समय उपभोक्ताओं को अपने ग्रामों में मौजूद एजेंट के साथ व्यवहार करना होता है। उपभोक्ताओं को अदायगी करने के लिए दूरदराज स्थित यूटिलिटी दफ्तर में (30 किलोमीटर तक) जाने की बजाए नजदीक जाना होता है।
- 30 दिन के बिलिंग चक्रण और बिलों का वितरण समय पर किए जाने से मीटर रीडिंग/ बिलिंग का कार्य काफी तेज हो गया है।
- फ्यूज ठीक करने और आपूर्ति को तत्काल बहाल करने के लिए एजेंट आपके द्वार पर उपलब्ध है।
- उपभोक्ताओं की अनुरक्षण और बिलिंग समस्याओं का समाधान तेज गति से हो रहा है।
- रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और यूटिलिटी की तुलना में एजेंट और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है।

3.3 एजेंट/प्रैंचाइजी स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की एकल बिन्दु आपूर्ति योजनाः

प्रैंचाइजी का दायित्व मीटर रीडिंग करना, बिलिंग वितरण करना, राजस्व एकत्र करना और विद्युत नेटवर्क की स्थिति के संबंध में यूटिलिटी को फीडबैक देना और नए सेवा कनेक्शन देने की स्थिति प्रदान करना है।

3.3.1 एकल बिंदु आपूर्ति योजना के अधीन डीटीआर चयन करने के मापदंडः

एकल बिंदु आपूर्ति योजना निम्नलिखित मापदंडों के अधीन चुने गए वितरण ट्रंसफार्मरों के संबंध में लागू की गई थी

- नगरपालिका या नगर समिति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रंसफार्मरों को शामिल किया गया।
- पहले 100 केवीए आकार तक के ट्रंसफार्मरों को लेने पर विचार किया गया था, जो अब बढ़ाकर 250 केवीए कर दिया गया है।
- केवल ऐसे वितरण ट्रंसफार्मरों को एसपीपीएस में शामिल किया जाता है, जहां कनेक्टिड लोड का कम से कम 80 प्रतिशत घरेलू लोड हो।
- फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक फील्ड सब-डिविजन में इस योजना के अधीन कुल वितरण ट्रंसफार्मरों के केवल 25 प्रतिशत को रखा गया है।

3.3.2 एजेंट/प्रैंचाइजी के चयन का मापदंडः

एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल है

- सब-डिविजनल इंजीनियर द्वारा संभावित स्थान और वितरण ट्रंसफार्मरों की अवस्थिति।
- सब-डिविजनल इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया संगत आंकड़ों के साथ प्रस्ताव।

- आवेदन-पत्र देने के लिए इच्छुक पक्षकारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।
- सब-डिविजनल इंजीनियर द्वारा दिए गए नियुक्ति के प्रस्तावों की कार्यपालक इंजीनियर द्वारा जांच की जाती है और उसे अनुमोदन के लिए सर्किल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेज दिया जाता है।
- इस कार्यपालक इंजीनियर के अनुमोदन के बाद सभी हितधारकों को उस स्थल और एजेंट की सूचना दी जाती है।
- चुनी गई एजेंसी को कार्यपालक इंजीनियर के पास एक माह के अंदर प्रतिभूति जमा करनी होती है और उसके साथ एक करार निष्पादित करना होता है।

एजेंसी द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति उपभोक्ता के कुल कनेक्टिड लोड पर घरेलू टैरिफ के नियमित स्लैब पर दो महीने की अनुमानित खपत के मिश्रण के बराबर होती है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और एजेंसी के बीच निष्पादित करार पहली बार में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसे परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकता है। यह करार दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दो माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

3.3.3 एजेंट/ फ्रैंचाइजी नियुक्त करने की प्रक्रियाः

यूटिलिटी द्वारा समाचार-पत्र में खुला विज्ञापन देकर बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। बोली की विशिष्टि में वे नियम और शर्तें दी जाती हैं, जिनके अनुसार बोलीदाता कोई भी गैर-सरकारी संगठन, पंचायत, सेवा-निवृत्त विद्युत कामगार, व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह या फर्म या कंपनी हो सकते हैं। व्यक्तियों को या बोलीदाता कामगारों को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसमें से प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। पिछला अनुभव आवश्यक नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने वाले फ्रैंचाइजी के कामगारों के पास जोधपुर में पंजीकृत विद्युत निरीक्षक से प्राप्त लाइसेंस होना चाहिए।

प्रतियोगिता का आधार परिभाषित फ्रैंचाइजी क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए रुपयों में फ्रैंचाइजी सेवा-शुल्क होता है।

प्रैंचाइजी द्वारा वितरण कंपनी के पास प्रतिभूति जमा की जाती है। करार की शर्तों के अनुसार यह नकद रूप में जमा की जाती है जो संबंधित ग्रामों के तीन महीने की राजस्व वसूली के औसत 7 दिनों के बराबर होती है और शेष 3 महीनों की औसत राजस्व वसूली को बैंक गारंटी के रूप में जमा किया जाएगा।

प्रैंचाइजी को इस बात के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह प्रत्येक दिन की नकद वसूली जोधपुर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की जलोरी गेट शाखा में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खाते में जमा करे।

कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा को प्रैंचाइजी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई सेवा कर देय हो तो वह भी प्रैंचाइजी की देयता होती है।

इस प्रकार, ग्राम पंचायत बालेसर के लिए जोधपुर प्रैंचाइजी का आधार संपूर्ण बिलिंग के लिए प्रोत्साहन देने और नहीं देने के लिए जाना जाएगा। मीटर रीडिंग प्रैंचाइजी द्वारा की जाती है और कम्प्यूटर पर बिल तैयार करने का कार्य इसके लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा किया जाता है।

3.3.4 एजेंट के कार्य और करार की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणियां

जरूरी है कि-

- राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वितरण ट्रंसफार्मर एलटी की ओर मीटर कैबिनेट के साथ तीन फेजीय स्टेटिक मीटर लगाए जाएं।
- लाइनों और सब-स्टेशनों का आवश्यक नवीकरण कार्य पूरा किया जाए।
- एजेंसी को उसके कार्य की प्रकृति और दायित्वों के बारे में उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं।
- राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एजेंसी को निर्धारित क्षेत्र और अवधि में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।
- राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड क्षेत्र में एजेंसी के अधिकारों के बारे में स्थानीय निवासियों और संबंधित पक्षकारों को उचित अधिसूचना।

3.3.5 एजेंसी/प्रैंचाइजीज की जिम्मेदारियां

जोधपुर की बालेसर ग्राम पंचायत में यूटिलिटी द्वारा प्रैंचाइजी को निम्नलिखित अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। प्रैंचाइजी का कार्य नवम्बर, 2006 में आरंभ हो गया थाः

i) मीटर पाइंट से बाहर विद्युत लाइनों का अनुरक्षण।

ii) ट्रंसफार्मर बदलना।

iii) उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग

iv) विद्युत बिलों का वितरण

v) बिल की रकम वसूल करना और जोधपुर वितरण कंपनी के खाते में जमा करना।

vi) रुके हुए, जले हुए/ बंद/ दोषपूर्ण मीटरों और सेवा लाइनों को बदलना।

vii) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना और शिकायतों पर कार्रवाई करना।

viii) नए सर्विस कनेक्शन जारी करने की सुविधाएं।

ix) प्रैंचाइजी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में विद्युत तंत्र की स्थिति के बारे में फीडबैक देना, ताकि वह क्षेत्र में क्षति में कमी लाने में भागीदार बने। इसके लिए प्रैंचाइजी आवधिक जांच की प्रणाली विकसित कर सकता है क्योंकि क्षेत्र में की गई ऊर्जा आपूर्ति के मापन बिंदु के बाद ऊर्जा आपूर्ति के कम से कम 90 प्रतिशत पर बिल देने के लिए प्रैंचाइजी जिम्मेदार होता है।

3.3.6 एजेंट/प्रैंचाइजी के प्रति राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की जिम्मेदारी

प्रैंचाइजी के कार्यरत रहने के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है

- परिभाषित बिंदु पर एजेंसी के क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति।
- प्रत्येक माह की 10 तारीख के अंदर एजेंसी को एकल बिंदु आपूर्ति बिल भेजना।

- एजेंसी से नियत तारीख के अंदर मासिक राजस्व प्राप्त करना।
- नए वाणिज्यि उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्श देना और एजेंसी को नए कनेक्शनों का विवरण प्रस्तुत करना।
- वितरण लाइनों और सब-स्टेशनों का अनुरक्षण।

3.4 राजस्थान राज्य में प्रैंचाइजी प्रणाली लागू करनाः

राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधार पर शुरू की गई है, जिसके अधीन ग्रामों में वितरण प्रणाली ढांचे को तैयार करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठाने के पात्र बनने के लिए प्रैंचाइजी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रैंचाइजी प्रणाली लागू करने में राजस्थान की तीन वितरण कंपनियों में सबसे आगे है।

राजस्थान की प्रैंचाइजी व्यवस्था लागू करने में निम्नलिखित नई बातें शामिल है

- बोलियां खुले विज्ञापन के जरिए पारदर्शी तरीके से आमंत्रित की जाती हैं।
- पंचायत समिति-वार ग्रामों के ब्लॉक एक प्रैंचाइजी दिए जाने पर विचार किया गया ताकि उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बनी रहे और उनके कार्यक्षेत्र का आकार भी काफी रहे।
- बोलियां प्रत्येक ग्राम के लिए सेवा प्रभार आधार पर प्रतियोगिता के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं।
- प्रैंचाइजी को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के संबंध में एकल बिंदु मीटर लगाने के करार को लचीला रखा गया और निम्नलिखित से भी जोड़ा जा सकता है-
  - (i) 33/11 केवी सब-स्टेशन को बिजली देना
  - (ii) एक 11 केवी फीडर या फीडरों का समूह
  - (iii) एक वितरण ट्रंसफार्मर या ट्रंसफार्मरों का समूह

(iv) एक गांव या गांवों का समूह

(v) प्रैंचाइजी को मीटर के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति करने का कोई अन्य परिभाषित तरीका।

जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मार्च, 2006 में बोलियां आमंत्रित की थीं और दो अलग-अलग प्रैंचाइजीज को कार्य सौंपे जाने का पत्र जारी किया गया। इन दो में से (i) पाली जिले के बाली प्रभाग की बाली पंचायत समिति के 20 ग्रामों को 11 केवी फीडर से जुड़े कार्य को मैसर्स कमल इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कारपोरेशन और (ii) जोधपुर जिले के बालेसर प्रभाग की बालेसर पंचायत समिति के 31 ग्रामों से जुड़ा कार्य मैसर्स बसंत कुमार सुपुत्र छोटे सुतार नामक दो अलग-अलग प्रैंचाइजियों को दिया गया था।

फरवरी, 2007 के अंत में आज तक बालेसर पंचायत समिति के 31 ग्रामों में से 9 ग्राम प्रैंचाइजी को सौंप दिए गए हैं। शेष ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन वितरण प्रणाली नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के बाद मार्च, 2007 के अंत तक सौंप दिए जाएंगे।

यूटिलिटी, डीटीआर आउटलेट पर प्रैंचाइजी को उचित नेटवर्क और मीटर व्यवस्था मुहैया कराएगा। कार्य को हाथ में लेने के दो माह के बाद प्रैंचाइजी वितरण ट्रंसफार्मरों पर आपूर्ति की गई बिजली के 85 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होगा। यदि आपूर्ति की गई ऊर्जा के बिल की रकम के 90 प्रतिशत से अधिक हो, तो प्रैंचाइजी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन ऊपर बिल में दर्शाई गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के 50 प्रतिशत के बराबर होगी, जो 90 प्रतिशत तक (पिछले दो माह की औसत बिक्री दर) तक सीमित होगी। यदि आपूर्ति की गई ऊर्जा के 90 प्रतिशत से कम का बिल तैयार किया जाता है तो बिल में दर्ज न की गई ऊर्जा के संबंध में शास्ति लगाई जाएगी।

ग्रामों को सौंपने के बाद जोधपुर में नवम्बर, 2006 से प्रैंचाइजी प्रणाली ने कार्य करना शुरू किया है। प्रैंचाइजी के दायित्वों में मीटर रीडिंग की संपूर्ण हानि, बिलिंग, वसूली, उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण, नए कनेक्शन देना, क्षति कम करने में हिस्सेदार बनने के लिए अपने क्षेत्र में विद्युत तंत्र की स्थिति के संबंध में फीडबैक देना शामिल है।

4.0 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशः

ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढांचा और आवासों के विद्युतीकरण की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 मार्च, 2005 को राष्ट्रपति जी का अनुमोदन जारी किया।

यह योजना रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के जरिए लागू की जानी है। इस योजना के अधीन इस परियोजना के लिए 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव है।

4.1 राज्यों की जिम्मेदारियां

इस सब्सिडी का लाभ पाने के लिए राज्यों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी है

- बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य को समुचित व्यवस्था करनी होगी।
- ग्रामीण और शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन आने वाली वितरण परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के लिए फ्रैंचाइजी को नियोजित करने के लिए राज्य की पूर्व प्रतिबद्धता।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपेक्षित राजस्व सब्सिडी मुहैया कराने के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता देनी होगी।

4.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल परियोजनाएं:

निम्नलिखित के प्रावधान के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध होगी

- ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन
- ग्रामीण विद्युत वितरण मूल सुविधाएं
- विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन
- गरीबी रेखा से नीचे के आवासों का विद्युतीकरण

इससे सम्बद्ध कार्यालय ज्ञापन में सभी ग्रामों और आवासों, अविद्युतीकृत गांवों और 2001 की जनगणना के अनुसार बिजली की पहुंच वाले आवासों के विभिन्न घटकों में समग्र लागत का अनुमान शामिल है।

4.3 प्रैंचाइजीजः

कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि प्रैंचाइजियों के माध्यम से ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों, प्रयोक्ताओं, संस्थाओं, सहकारी या वैयक्तिक उद्यमों और पंचायत संस्थाओं को सहयोजित किया जाएगा। प्रैंचाइजी व्यवस्था इस प्रणाली से बाहर और सब-स्टेशन से फीडरों सहित या वितरण ट्रंसफार्मरों से/ और सहित हो सकते है।

4.4 राजस्व निरंतरताः

इस कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि प्रैंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद उपभोक्ताओं के मिश्रण, प्रचलित दरों और उपलब्ध संभावित मांग के आधार पर प्रैंचाइजी के लिए थोक आपूर्ति दर तय की जाएगी।

जहां भी व्यवहार्य हो, थोक आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण करने के लिए बोली आमंत्रित करने का प्रयास किया जाए। राज्य यूटिलिटी द्वारा थोक आपूर्ति टैरिफ के बारे में प्रस्ताव पेश करते समय राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पूरे तथ्य दिए जाएंगे।

4.5 केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की सेवाएं:

एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी की सेवाएं राज्य को दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया ताकि वे अपनी प्रबंधन विशेषज्ञता और क्षमता मुहैया करा सकें। इस संबंध में आरईसी ने इन केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

5.0 आरईसी दिशा-निर्देशः

आरईसी के दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य प्रैंचाइजी व्यवस्था की शुरुआत करना है, विशेषतः निम्नलिखित पहलुओं के संबंध मे

क) प्रैंचाइजी कौन बन सकता है

ख) प्रैंचाइजी की न्यूनतम तकनीकी/ वित्तीय विशेषज्ञता क्या होगी

ग) प्रैंचाइजी का चयन कैसे किया जाएगा

घ) प्रैंचाइजी के विभिन्न आकारों में उनकी जिम्मेदारी और उनके अधिकार क्या होंगे, जिसमें टैरिफ निर्धारण का तरीका भी शामिल हे।

ड.) यूटिलिटी के कर्त्तव्य/ जिम्मेदारी और अधिकार क्या होंगे

च) पंचायत राज संस्थाओं के साथ उनका संपर्क क्या होगा

5.1 ग्रामीण वितरण प्रबंधन में प्रैंचाइजी की भूमिकाः

प्रैंचाइजी कोई संस्था हो सकती है, जिसे राज्य द्वारा शक्तियां दी गई हों (वितरण संस्था/संस्थाएं):

- उत्पादन और वितरण प्रणाली को विकसित और प्रचालित करना या
- अभिनिर्धारित क्षेत्र में बिजली के वितरण के लिए तैयारी और ग्रामीण उपभोक्ताओं से सीधे ही राजस्व वसूली करना।
- प्रैंचाइजी को यह विकल्प होगा कि वह स्वयं विद्युत का उत्पादन करे या सीधे यूटिलिटी से आपूर्ति प्राप्त करे अथवा दोनों ही कार्य करे।
- प्रैंचाइजी को यह विकल्प होगा कि वह निम्नलिखित के आधार पर अपना स्वयं का सब-ट्रंसमिशन नेटवर्क बढ़ाए:
    - राज्य सरकार का अनुमोदन
    - राज्य यूटिलिटी का अनुमोदन
    - संबंधित क्षेत्र में लोड की वृद्धि

5.2 प्रैंचाइजी मॉडलः

हालांकि विकेंद्रीकृत वितरण में प्रैंचाइजी भी शामिल है, परंतु आरईसी के दिशा-निर्देशों का मुख्य जोर बिजली के वितरण पर है

प्रैंचाइजी के प्रारंभिक मॉडल निम्नलिखित चार हो सकते है

1) राजस्व वसूली प्रैंचाइजी

2) ऊर्जा खरीद/बिक्री और वसूली करने वाला प्रैंचाइजी

3) ऊर्जा खरीद/ बिक्री और वसूली तथा प्रचालन और अनुरक्षण करने वाला प्रैंचाइजी

इस मॉडल में प्रैंचाइजी को अनुमति दी गई है कि वह वर्तमान वितरण तंत्र का उपयोग करे और प्रैंचाइजी के क्षेत्र के अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं बढ़ाए।

4) सहकारी समिति अधिनियम के अधीन गठित कोई विद्युत सहकारी समिति। यह समिति वितरण ढांचे की स्वामी भी होगी।

आरईसी के दिशा-निर्देशों में परिभाषित इन मॉडलों को नीचे दिए गए पैराग्राफ में स्पष्ट किया जा रहा है**:**

मॉडल-1:

राजस्व वसूली-(i) क- <u>राजस्व वसूली आधारितः</u> इसकी भूमिका बिलिंग वसूली, नए सेवा कनेक्शन, शिकायतों का निवारण, नेटवर्क पर नजर रखने तक सीमित है।

- राजस्व वसूली के लक्ष्य प्रति माह दिए जाएंगें।
- लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर प्रैंचाइजी को वसूली की प्रतिशतता के रूप में मार्जिन दिया जाता है।
- लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर प्रैंचाइजी पर शास्ति लगाई जाती है।
- लक्ष्य से अधिक प्राप्ति पर प्रैंचाइजी को प्रोत्साहन दिया जाता है।

मॉडल-2:

राजस्व वसूली-(i) ख- <u>प्राप्त ऊर्जा आधारितः</u> इस मॉडल में प्रैंचाइजी क्षेत्र में मिली ऊर्जा का मापन यूटिलिटी द्वारा किया जाता है और वसूली के लक्ष्य पिछले माह में मीटर के बिंदु से बाहर आपूर्ति की गई प्राप्त ऊर्जा की प्रतिशतता पर आधारित होते हैं। प्रैंचाइजी निम्नलिखित को काम देने का निर्णय निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है**:**

- 11 केवी फीडर पर आधारित प्राप्त ऊर्जा
- वितरण ट्रंसफार्मर पर आधारित प्राप्त ऊर्जा

मॉडल-3:

<u>ऊर्जा की खरीद और बिक्री आधारित प्रैंचाइजी</u>**:**

प्रैंचाइजी यूटिलिटी से ऊर्जा की खरीद करेगा और उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री करेगा। यह मॉडल प्राप्त ऊर्जा आधारित राजस्व वसूली मॉडल (i)(ख) की भांति है, सिवाय इसके कि प्रैंचाइजी द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर ऊर्जा खरीदनी होती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।

मॉडल-4:

<u>ऊर्जा की खरीद और बिक्री तथा प्रचालन और अनुरक्षण वाला प्रैंचाइजी</u>

इस मॉडल में विद्युत ऊर्जा की खरीद और बिक्री के अलावा प्रैंचाइजी को 11 केवी फीडर के प्रचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है, जिसमें वितरण ट्रंसफार्मर भी शामिल हैं। प्रचालन और अनुरक्षण मासिक रिटेनर आधार पर दिया जा सकता है या समायोजित ऊर्जा खरीद कीमत पर। प्रैंचाइजी को अनुमति होती है कि वह राज्य और राज्य विद्युत यूटिलिटी की अनुमति से यूटिलिटी की वर्तमान बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, लेकिन प्रचालन की अवधि में अपने द्वारा सृजित किए गए विद्युत वितरण बुनियादी सुविधाओं का वह स्वामी नहीं होगा।

मॉडल-5:

<u>प्रैंचाइजी के रूप में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां</u>

इस संबंध में राज्य विद्युत सहकारी समिति नामक परंपरागत समिति के सृजन को प्राधिकृत करेगा, जो सहकारी समिति के सदस्य द्वारा गठित और प्रचालित की जाएगी। समिति के पास सभी सहकारी परिसंपत्तियां होंगी और यह एक लघु वितरण यूटिलिटी होगी। समिति का गठन संस्था ज्ञापन के द्वारा किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी

- उस क्षेत्र के सभी परिवार उस समिति के सदस्य होते हैं
- समिति का निदेशक मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है
- समिति का निवल लाभ सदस्यों में बांट दिया जाता है
- सहकारी समितियां वितरण लाइसेंसधारी होती हैं।
- समिति सदस्यों से इक्विटी लेती है और बाजार से ऋण लेती है
- समिति लाइसेंसधारक के रूप में किए सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है।
- समिति राज्य विद्युत यूटिलिटी से बिजली की खरीद करेगी या अपना बिजलीघर स्थापित करेगी।

मॉडल-6:

<u>विद्युत सहकारी समिति द्वारा संविदा के माध्यम से प्रचालन प्रबंधनः</u>

इस मॉडल में सहकारी समिति, राज्य या राज्य यूटिलिटी की सहमति से समिति का प्रबंधन किसी बाह्य अनुभवी एजेंसी को संविदा शुल्क पर सौंपती है। इस कार्य के लिए 'समुचित प्रचालन संविदा' की आवश्यकता होगी।

6.0 राज्य में कार्य कर रही प्रैंचाइजी प्रणाली की स्थितः

राजस्थान राज्य में प्रैंचाइजी प्रणाली ने हाल ही में काम करना शुरू किया है। यह शुरुआत उसने जोधपुर और पाली जिले से की है। प्रैंचाइजीज को या तो पंचायत समिति के ग्राम दिए जाते हैं अथवा 33/11 केवी सब-स्टेशन पर उपयुक्त तरीके से मीटरयुक्त ऊर्जा दी जाती है या 11 केवी फीडर अथवा वितरण ट्रंसफार्मर दिए जाते हैं।

फ्रैंचाइजी की नियुक्ति प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से की जा रही है, जो प्रति ग्राम पारिश्रमिक पर आधारित होती है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये प्रोत्साहन उन्हें वितरण नेटवर्क पर उचित क्षति की अनुमति देते हुए संपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति के लिए बिलिंग और वसूली के लिए दिए जाते हैं।

राज्य यूटिलिटी ने फ्रैंचाइजी द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम की संवीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया है। फ्रैंचाइजी, ग्रामों में दो माह की वसूलियों के बराबर धरोहर राशि को कठिन पा रहे हैं। जोधपुर के अगोलई ग्राम में फ्रैंचाइजी के मूल कार्यालय का दौरा करने पर इराडे ने देखा कि उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारक, यूटिलिटी अधिकारी और फ्रैंचाइजी प्रणाली के बारे में व्यापक रूप से आशंकित थे। लेकिन इसके साथ ही प्रणाली की सफलता के बारे में वे समान रूप से आशावादी थे। कुछ उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक मीटर के कारण बिजली की खपत में हुई वृद्धि के बारे में चिंतित थे। लेकिन उनकी चिंता के बारे में उन्हें समझा दिया गया और यह पाया गया है कि अधिकांश रूप से मीटर रीडिंग रिकार्ड करते समय यह एक गणितीय भूल थी।

यह तथ्य कि फ्रैंचाइजियों को मापित विद्युत ऊर्जा देने और वितरण तंत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है, फ्रैंचाइजी मॉडलों से राजस्थान में काफी उम्मीदें बंधती हैं।

7.0 नमूने के गांवों का चयनः

आरईसी के महाप्रबंधक, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ दिनांक 12 जनवरी, 2007 को आरईसी के कार्यालय में हुई बैठक में यह संकेत दिया गया था कि राजस्थान के जोधपुर सर्किल के ऐसे 30 ग्राम हैं, जिनमें फ्रैंचाइजी प्रणाली के अध्ययन के लिए नमूना सर्वेक्षण किया जाना है। आरईसी से इन गांवों की सूची प्राप्त की गई थी।

आरईसी की शर्तों के अनुसार निगम चाहता था कि शुरू-शुरू में 10 प्रतिशत ग्रामों का ही नमूना सर्वेक्षण किया जाए। 12 जनवरी, 2007 को आरईसी में हुई बैठकों के दौरान यह तय किया गया कि प्रत्येक जिले में लगभग 30 ग्रामों का नमूना सर्वेक्षण किया जाए।

30 ग्रामों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड मुख्यालय से ग्रामों की सूची प्राप्त कर के जोधपुर में नमूना सर्वेक्षण करने के लिए यादृच्छिक रूप से ग्रामों का चयन किया गया।

समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए 31 ग्रामों का चयन किया गया और उन्हें प्रारंभिक रिपोर्ट में शामिल किया गया।

इस व्यवस्था में, नमूना ग्राम, जो जोधपुर, राजस्थान में फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए थे, संलग्न सूची में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार 9 ग्रामों में फील्ड सर्वेक्षण किया गया था, अर्थात ग्रामों के नमूना फील्ड सर्वेक्षण में लगभग 20 प्रतिशत ग्राम शामिल किए गए थे।

8.0 फील्ड सर्वेक्षण करने की विधः

अध्ययन करने के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2007 का कार्य सौंपे जाने संबंधी पत्र दिनांक 16 जनवरी 2007 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन से प्राप्त हुआ। यह पत्र आरईसी द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2007 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को जारी किया गया था, जिसमें अध्ययन करने के लिए इराडे का परिचय दिया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मुख्यालय और वितरण सर्किल के मुख्यालय में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया। अध्ययन की शर्तें बहुत व्यापक हैं और फ्रैंचाइजी प्रणाली के कुशल और प्रभावी कार्य विधि का मूल्यांकन इसमें शामिल किया गया है।

8.1 सर्वे का फार्मेट तैयार करनाः

इराडे ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की और जोधपुर सर्किल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ भी विचार-विमर्श किया। एकल बिंदु विद्युत आपूर्ति प्रणाली के जरिए राज्य की फ्रैंचाइजी प्रणाली के कार्यचालन के संबंध में प्राप्त फीडबैक में ग्रामों का फील्ड सर्वेक्षण करने के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गई है। फ्रैंचाइजी प्रणाली के कार्यचालन से सम्बद्ध विभिन्न हितधारकों से संपर्क किया गया। फील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त की जाने वाली सूचना तैयार की गई प्रश्नावली में निम्नलिखित मुद्दों को जोड़ा गयाः

- फ्रैंचाइजी प्रणाली को राज्य में कैसे लागू किया गया और उन्हें किस तरीके से नियुक्त किया जाता है? क्या प्रतियोगिता को चयन का आधार बनाया जा सकता है?

- किस प्रकार की प्रैंचाइजी प्रणाली कार्य कर रही है और क्या वह आरईसी/ भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है?
- प्रैंचाइजी के कार्य-निष्पादन के बारे में क्या अनुभव रहा है और क्या प्रैंचाइजी प्रणाली ग्रामों की विद्युत वितरण व्यवस्था में वित्तीय व्यवहार्यता ला सकती है?
- प्रैंचाइजी प्रणाली में कार्य करने करने के इष्टतम तरीके क्या हैं?
- ग्रामों में प्रैंचाइजी के कार्य करने के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और बिजली की खपत पर इसका प्रभाव?
- प्रैंचाइजी व्यवस्था में अपेक्षित कौशल सूचना सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण या अन्य तरीके क्या हैं?
- गांवों में वितरण प्रबंधन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने और राजस्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रैंचाइजी व्यवस्था का विकास।

8.2 अध्ययन करने की संगठन प्रणाली

इंटेग्रेटिड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट (इराडे) एक ऐसा संस्थान है, जिसमें अनुसंधान करने के लिए विविध विषयों के विशेषज्ञ हैं, और उनके निष्कर्षों को कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है। इराडे ऐसे मूल्यांकन के लिए एक समुचित मंच प्रदान करता है।

यह अध्ययन कार्यपालक निदेशक (इराडे) के समग्र पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अध्ययन दल का नेतृत्व एक ऐसे वरिष्ठ सलाहकार द्वारा किया जाएगा, जिसे विद्युत क्षेत्रक, डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, प्रबंधन, नीति-निर्माण और विद्युत क्षेत्र में सुधार और वित्त व्यवस्था के विभिन्न घटकों में बहु-आयामी कार्य करने का अनुभव है। उन्हें एक वरिष्ठ सलाहकार और मुख्यालय के दो अनुसंधान सहायकों द्वारा सहयोग दिया जाता है।

मुख्यालय का यह दल फील्ड स्तर पर अध्ययन करने के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली, रणनीति और रूपरेखा विकसित करेगा।

फील्ड स्तर पर ग्राम सर्वेक्षण के दौरान इराडे के कार्मिकों को वितरण क्षेत्र के सेवा-निवृत्त यूटिलिटी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। फील्ड दल को अनुसंधान सहायकों द्वार सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि नियमित समीक्षा के जरिए आवश्यक संगत सूचना ली जा सके और फील्ड में की गई बातचीत के संबंध में फीडबैक ली जा सके।

8.3 ग्रामों में फील्ड सर्वेक्षणः

निम्नलिखित के संबंध में प्रैंचाइजी प्रणाली के कार्यचालन और फीडबैक संबंधी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए फार्मेट तैयार किए गए है

- ग्राम
- वितरण नेटवर्क
- प्रैंचाइजी
- ग्राम पंचायत
- ग्राम परिवार
- उपभोक्ता
- यूटिलिटी और प्रैंचाइजी के बीच वित्तीय क्रियाकलाप

फील्ड का दौरा करते समय फील्ड समूह के साथ सर्वेक्षण फार्मों पर चर्चा की जाती थी ताकि ग्रामों के दौरों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके और सभी संबंधित समूहों तक पहुंचा जा सके। इराडे के दल ने ग्रामों के फील्ड सर्वेक्षण का कार्य किया। उन्होंने फरवरी, 2007 में ग्रामों का दौरा किया। फील्ड समूहों और मुख्यालय के दल के बीच फील्ड कार्य की प्रगति की समीक्षा के बारे में चर्चा होती थी ताकि उपलब्ध सूचना के अनुसार फार्मेट में घट-बढ़ किया जा सके।

8.4 आंकड़े समेकित करना और निष्कर्ष निकालनाः

राज्य/जिला/ग्रामों से एकत्रित किए गए आंकड़ों को समेकित किया गया और सूचना को व्यवस्थित किया गया। आंकड़ों पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा की गई और निष्कर्ष निकालने के लिए काफी

दिमाग लगाया गया। अध्ययन एक सुविचारित तरीके से किया गया, जिसमें प्रैंचाइजी के जरिए विद्युत वितरण के कारोबार करने के बारे में ग्राम को एक इकाई के रूप में देखा गया। सर्वेक्षण पारस्परिक विश्वास के मैत्रीपूर्ण वातावरण में किए गए। अलग-अलग लोगों से पूछे गए प्रश्न पूर्वाग्रहरहित थे ताकि व्यक्ति या संस्था के कार्य-निष्पादन का पता लगाया जा सके और प्रैंचाइजी प्रणाली की सफलता के तथ्यों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

9.0 सर्वेक्षण किए गए ग्रामों के संबंध में आंकड़े और सूचनाः

आरंभिक रिपोर्ट में 15 ऐसे ग्रामों की सूची शामिल की गई, जिन्हें राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त जयपुर सर्किल के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम में आने वाले 145 ग्रामों की सूची में यादृच्छिक रूप से चुना गया था। प्राप्त सूचना को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है

क) जिले में विद्युतीकरण की स्थिति

ख) ऊर्जा की आपूर्ति और बिल

ग) राजस्व वसूली

घ) प्रैंचाइजी की विशेषताएं

ड.) प्रैंचाइजी का प्रकार और मॉडल

च) प्रैंचाइजी के अध्ययन की प्रक्रिया

छ) प्रैंचाइजी द्वारा किए गए कार्य और सामने आइप समस्याएं

ज) टैरिफ ढांचा

झ) ग्राम में उपभोक्ताओं के विवरण

ञ) बिलिंग तंत्र

ट) राजस्व वसूली तंत्र

ठ) ग्राम में विद्युत नेटवर्क

ड) आवासों की विशेषता

ढ) उपभोक्ताओं से फीडबैक

ण) प्रैंचाइजी से फीडबैक

त) ग्राम पंचायत से फीडबैक

जिन मापदंडों के अधीन सूचना दर्ज की गई थी, उनकी कुल संख्या लगभग 290 है। सर्वेक्षण किए गए 9 ग्रामों की सूचना इन 290 मापदंडों के अधीन दर्ज की गई है और संदर्भ के लिए अनुबंध-1 पर संलग्न है।

यह पाया गया कि प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं है, परंतु यह अध्ययन के प्रयोजन के लिए काफी मात्रा में प्राप्त की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से पहले भी जोधपुर (राजस्थान) के कुछ ग्रामों में प्रैंचाइजी प्रणाली कार्य कर रही थी, जो एकल बिंदु विद्युत आपूर्ति योजना के रूप में थी। अतः यह सूचना काफी उद्देश्यपूर्ण है।

10.0 नमूना सर्वेक्षण के परिणामों की व्याख्याः

ग्रामों का नमूना सर्वेक्षण मुख्यतः प्रैंचाइजी प्रणाली के कार्य-निष्पादन के अध्ययन के लिए किया गया था कि क्या यह वितरण प्रणाली प्रबंधन के लिए वह एक स्थायी मॉडल के रूप में कार्य कर सकता हे। यह अध्ययन अब किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किए गए आंकड़ों और सूचनाओं का निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की आवश्यकता है

क) किस प्रकार की प्रैंचाइजी प्रणाली कार्यरत है और क्या यह विद्युत मंत्रालय/ भारत सरकार और आरईसी के दिशा-निर्देशों का पालन करती है?

ख) निम्नलिखित कामों में प्रैंचाइजी प्रणाली कितनी कारगर है-

- राजस्व वसूली में सुधार लाने में
- ग्रामों में अधिक उपभोक्ताओं में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने में
- उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण और बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति के मामले में

ग) क्या प्रैंचाइजी मॉडल लंबे समय तक के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है?

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आंकड़े/ सूचना की व्याख्या इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना है कि इसमें अनुदान का अंश 90 प्रतिशत है। यह सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के जरिए ग्रामीण भारत में बिजली के ढांचे का सृजन करने में एक निवेश है, जिसे ग्रामीण उपभोक्ताओं के सामान्य हित के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाना है।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किए गए आंकड़ों की सर्वेक्षण फार्मेट की व्यापकता और सूचना तथा आंकड़ों के प्रकार की दृष्टि से सीमाएं हैं। इन सीमाओं के बावजूद नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, वे काफी विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

11.0 प्रैंचाइजी प्रणाली के कार्य

प्रैंचाइजी प्रणाली के कार्यों में ऐसे सभी पहलू शामिल हैं, जो क्षमता पैदा करते और प्रणाली में विश्वास पैदा करते देखे गए हैं। इन पहलुओं में प्रैंचाइजी का प्रकार तथा मॉडल, नियुक्ति का तरीका, चयन में पारदर्शिता, करार का प्रकार, प्रतिभूति प्रावधान और कार्य अनुभव शामिल हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की संकल्पना करते समय भारत सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि पंचायत संस्थाओं को प्रैंचाइजीज के साथ सहयोजित किया जाएगा।

11.1 नियुक्ति का तरीकाः

राजस्थान में प्रैंचाइजी कोई भी गैर-सरकारी संगठन, पंचायत, सेवा-निवृत्त विद्युत कामगार, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फर्म या कंपनी हो सकती है। बोलीदाता कामगार कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है, लेकिन बिजली का काम करने वाले प्रैंचाइजी के कामगारों से अपेक्षा की जाती है कि उनके पास जोधपुर में पंजीकृत विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किया गया लाइसेंस हो और उन्होंने बिलिंग और राजस्व वसूली में एसपीपीएस के अधीन कार्य करने को इच्छुक हों। जहां एसपीपीएस योजना को लागू किया जाना है, वहां के वितरण ट्रंसफार्मरों की अवस्थिति का संभावित स्तर सब-डिविजनल इंजीनियर द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है और इच्छुक एजेंटों से संबंधित कार्यपालक इंजीनियर द्वारा आवेदन-पत्र मांगने की अधिसूचना जारी की जाती है। एजेंसी/ प्रैंचाइजी उनमें से चुने जाते हैं, जिन्होंने कार्य करने की अपनी क्षमता के आधार पर इच्छा व्यक्त की हो।

11.2 चयन में पारदर्शिताः

यह देखा गया है कि बहुत अधिक व्यक्ति या गैर-सरकारी संस्थाएं कार्य करने की इच्छा या क्षमता नहीं दिखाते हैं। कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संबंधित सर्किल का संबंधित कार्यपालक इंजीनियर स्थल विशेष के लिए क्षमता के आधार पर चयन करते हैं। एक प्रभावी पारदर्शी प्रतियोगी तरीका धीरे-धीरे विकसित हो रहा है।

11.3 प्रलेखन/ करारः

जोधपुर के बालेसर ग्राम प्रचायत और पाली के बाली ग्राम पंचायत के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा खुले विज्ञापन से प्रतियोगी बोली के आधार पर एक-एक प्रैंचाइजी का चयन किया गया है। बालेसर ग्राम पंचायत का करार प्रतिभूति की व्यवस्था आदि करने के बारे में यूटिलिटी और प्रैंचाइजी के बीच निष्पादित कर दिया गया है। करार के, प्रैंचाइजी करार, प्रतिभूति बैंक गारंटी और कार्य-निष्पादन गारंटी नामक तीन भाग हैं। राजस्थान यूटिलिटियों ने बैंक गारंटी, कार्य-निष्पादन गारंटी और प्रैंचाइजी गारंटी के लिए एक फौर्मेट विकसित किया है। प्रैंचाइजी के लिए विस्तृत कार्य-निष्पादन मापन फौर्मेट विकसित किया गया है ताकि उनके कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा सके।

11.4 प्रतिभूति जमाः

पाली जिले के बाली ग्राम पंचायत के लिए प्रतिभूति का पैकेज दोनों पक्षों की सहमति से अभी विकसित किया जाना है। जोधपुर जिले के बालेसर ग्राम पंचायत के मामले में प्रैंचाइजी ने 50,000 रुपए की प्रतिभूति नकद रूप में जमा की है और शेष 50,000 रुपए की राशि 5000 रुपए प्रति माह की दर से 10 किस्तों में अदा करने की सहमति दी है। आमतौर पर यूटिलिटी प्रत्येक ग्राम से होने वाली अनुमानित वसूली के दो माह की वसूली बराबर बैंक गारंटी की मांग करती है। दो माह के पुराने चक्रण को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया गया है।

11.5 संचालित अनुभव/ समस्याएं:

बालेसर पंचायत समिति के स्वीकृत 31 ग्रामों में से फिलहाल केवल 9 ग्रामों में प्रैंचाइजी कार्य कर रहा है। इससे प्रैंचाइजी का कार्य अकुशल और मंहगा हो गया है। अनुमान है कि जैसे ही प्रैंचाइजी को 31 स्वीकृत सभी ग्रामों के प्रचालन का कार्य सौंपा जाएगा, यह प्रैंचाइजी के लिए भी वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो जाएगा।

12.0 प्रैंचाइजी प्रणाली का प्रभावः

विभिन्न हितधारकों और सामान्य लोगों पर प्रैंचाइजी प्रणाली के प्रभाव का अनुमान उपभोक्ताओं और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से प्राप्त फीडबैक पर निर्भर करेगा।

12.1 बिलिंगः

अब बिलिंग प्रक्रिया काफी सुविधाजनक हो गई है क्योंकि प्रैंचाइजी संबंधित क्षेत्र में नियमित रूप से और समय पर बिल वितरण सुनिश्चित करते हैं। प्रैंचाइजी द्वारा अगोलई वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रत्येक उपभोक्ता से राजस्व वसूली की जाती है, जिसे प्रैंचाइजी पंचायत समिति, बालेसर में वितरण कंपनी के कार्यालय में जमा करता है।

प्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद इन गांवों से राजस्व वसूली 2.622 लाख रुपए से बढ़कर 3.064 लाख रुपए (16.85 प्रतिशत वृद्धि) हो गई है।

12.2 राजस्व वसूली

तालिका 2 में आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा और राजस्व वसूली की वृद्धि को दर्शाया गया है, जो प्रैंचाइजी के प्रचालन के कार्य-निष्पादन पर आधारित है और दिसम्बर, 2006 और जनवरी, 2007 के पहले दो महीने के काम-काज के बारे में है। पिछले दो माह (अक्तूबर-नवंबर, 2006) में आपूर्ति की गई ऊर्जा की तुलना में यह वृद्धि देखी गई है और राजस्व वसूली भी इस अवधि की है। यूटिलिटी से प्रैंचाइजी में अंतरण के दौरान की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 7 ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में बिलिंग काफी अधिक देखी गई है। पिछले दो माह (अक्तूबर-नवंबर, 2006) की तुलना में इन दो माह (दिसम्बर 06-जनवरी, 07) में ऊर्जा के बिलों में वृद्धि 58 प्रतिशत से लगभग 148 प्रतिशत हुई है, हालांकि ऊर्जा की आपूर्ति में केवल 555 की वृद्धि हुई है और वसूल किए गए राजस्व में अधिकतम 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

बिलिंग में इस प्रकार की तेज वृद्धि उपभोक्ताओं के परिसर में बिजली लगाने से हुई है और उपभोक्ताओं से वसूली पिछले महीनों में बिल दिए बिना, औसत बिलिंग से हुई है।

अतः यह कहा जा सकता है कि प्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद बिलिंग और वसूली में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

12.3 उपभोक्ताओं की संतुष्टः

लगभग 150 उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त हुए। उपभोक्ताओं में निम्नलिखित के कारण असंतोष है

- आपूर्ति के घंटे (दैनिक)
- आपूर्ति की गुणवत्ता
- तंत्र अनुरक्षण

ग्रामीण सर्वेक्षण के दौरान मिले उत्तर यह संकेत देते हैं कि आपूर्ति औसतन प्रतिदिन लगभग 18 घंटे थी और आपूर्ति में रुकावट थी। उपभोक्ता सामान्यतः बिलिंग वसूली, मीटर लगाने और उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के संबंध में संतुष्ट थे।

12.4 वितरण प्रणाली प्रबंधनः

राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन एकल बिंदु विद्युत आपूर्ति प्रणाली - एसपीपीएस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में बिलिंग और राजस्व वसूली को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस एसपीपीएस प्रणाली से प्रैंचाइजी प्रणाली का विकास हुआ है और यह राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और वितरण कंपनियों द्वारा वितरण ट्रंसफार्मरों और प्रैंचाइजी/ एजेंटों पर लागू होती है। इसे वितरण ट्रंसफार्मरों के आउटलेट पर दी गई विद्युत से अधिक से अधिक राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन प्रैंचाइजी प्रणाली के परिणामस्वरूप अविद्युतीकृत ग्रामों और पहले से विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ है और ग्रामीण विद्युत वितरण तंत्र में सुधार आया है।

प्रैंचाइजी पूर्व निर्धारित क्षतिं की अनुमति देते हुए प्राप्त सारी विद्युत ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। राजस्थान में कार्यरत यह प्रैंचाइजी प्रणाली आरईसी के मॉडल 12- वितरण ट्रंसफार्मरों पर आधारित इनपुट ऊर्जा के अंतर्गत आती है।

प्रैंचाइजी फ्यूज काल पर जाता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बिजली के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

नमूना ग्रामों में बिजली की उपलब्धता प्रतिदिन 18 घंटे दर्शाई गई है। 80 प्रतिशत उपभोक्ता फ्रैंचाइजी प्रणाली से इस बात से संतुष्ट हैं कि आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ी है और ग्रामों में बिजली की चोरी या कुंडी डालकर चोरी कम हुई है। असंतोष इलेक्ट्रोनिक मीटरों को लगाए जाने के संबंध में है, जो वास्तव में मैकेनिकल मीटरों की तुलना में काफी संवेदनशील हैं। फ्रैंचाइजी और यूटिलिटीज के बीच संबंध अच्छे हैं और वे उपभोक्ता से अच्छा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

12.5 वितरण नेटवर्क

नमूना ग्रामों से इस बात का पता चलता है कि मीटर लगाने का कार्य संभावित मीटर बिंदु पर विभिन्न ग्रामों में किया गया। तालिका 11 में मीटर का प्रावधान में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है

डीटी को 11 केवी फीडर इनलेट	100%	नहीं
डीटी का आउटपुट	100%	हां
विद्युत खंभे पर	100%	नहीं
उपभोक्ता के परिसर में	100%	हां

एक 33/11 केवी सब-स्टेशन ट्रंसफार्मर क्षमता एक से अधिक ग्रामों को बिजली पहुंचा रही है। नमूना ग्रामों में औसत वितरण ट्रंसफार्मर क्षमता फीडिंग 63 केवीए प्रति ग्राम था। इसके अलावा, औसत 35 विद्युत खंभे और वितरण बिन्दु विद्युत कनेक्शन देने के लिए प्रत्येक ग्राम में मुहैया कराए गए हैं।

12.6 फ्रैंचाइजी द्वारा दिए गए कनेक्शनः

पिछले दो माह में फ्रैंचाइजी द्वारा 17 नए घरेलू कनेक्शन (एपीएल को) दिए गए हैं। नया कनेक्शन देने में अपनाई गई प्रक्रिया वितरण कंपनियों के माध्यम से है। वितरण कंपनियों के अनुमोदन के बाद फ्रैंचाइजी ने नए कनेक्शन दिए। यह देखा गया कि नए कनेक्शनों की मांग लंबित पड़ी हुई है लेकिन सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण यह मांग पूरी नहीं की जा सकती।

12.7 रोजगार के अवसर पैदा करनाः

इन 9 नमूना ग्रामों में एक उद्यम (मैसर्स बसंत कुमार, छोटे लाल, अगोलई, जोधपुर) कार्य कर रहा है। प्रैंचाइजी संगठन ने प्रति प्रैंचाइजी 6 व्यक्ति नियुक्त किए हैं, जिनमें से 5 दसवीं कक्षा तक पढ़े हैं और एक स्नातक स्तर से ऊपर तक पढ़ा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ता कनेक्शनों में वृद्धि और दायित्व के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रैंचाइजी की संख्या भी बढ़ेगी।

13.0 प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रैंचाइजी

कार्यक्रम में कार्य करने वाला प्रैंचाइजी भली-भांति प्रशिक्षित है क्योंकि बालेसर यूटिलिटी ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली प्रबंधन के बारे में कुछ प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करता है। हालांकि प्रैंचाइजी के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बिल तैयार करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने संबंधी कुछ प्रशिक्षण का राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वागत किया गया है। ग्राम पंचायत स्रोतों के अनुसार 100 प्रतिशत नमूना ग्रामों से इस बात का पता चला है कि प्रैंचाइजी द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, 80 प्रतिशत ग्रामों के उपभोक्ता संतुष्ट थे।

नमूना ग्रामों के प्रैंचाइजी से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि 100 प्रतिशत ग्रामों में बिजली की रुकावट और लाइन खराब होने की संभावना नहीं है। वोल्टता गिरने की समस्या सभी गांवों में सुलझाई जा सकती है।

14.0 प्रैंचाइजी प्रणाली का आदर्श और प्रकारः

ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में विद्युत मंत्रालय/ भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि परियोजनाएं पूंजीगत सब्सिडी की पात्र तब होंगी जब वे निम्नलिखित के संबंध में राज्य की प्रतिबद्धता प्राप्त कर ले

I. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रबंध करने के लिए प्रैंचाइजी की तैनाती करना।

II. राज्य यूटिलिटी के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की अपेक्षाओं के अनुसार राजस्व सब्सिडी का प्रावधान करना।

राज्य में कार्य करने वाले प्रैंचाइजियों ने विद्युत मंत्रालय की उपर्युक्त दो अपेक्षाओं को पूरा किया है और आरईसी के दिशा-निर्देशों का भी पालन किया है। आरईसी के दिशा-निर्देशों में प्रैंचाइजी के मॉडलों को स्पष्ट किया गया है और इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रैंचाइजी कौन बन सकता है। आरईसी के दिशा-निर्देशों में परिभाषित 4 आधारिक मॉडलों में से राजस्थान में प्रचलित मॉडल (i)(ख) मॉडल खः राजस्व प्रैंचाइजी निवेश आधारित के सबसे निकट है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित निवेश आधारित प्रैंचाइजी ग्रामीण क्षेत्रों को फीड करने वाले वितरण ट्रंसफार्मर के एलटी के स्थान पर मीटर लगाने पर आधारित है।

राजस्थान के प्रैंचाइजी उद्यमी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आरईसी के दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि

प्रैंचाइजी के जरिए किए जाने वाले ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों, उपभोक्ता संस्थाओं, सहकारी या व्यक्तिगत उद्यमों, पंचायत संस्थाओं आदि को सहयोजित किया जाएग।

इन दिशा-निर्देशों में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि पंचायती संस्थाओं को किस प्रकार सहयोजित किया जाएगा। लेकिन उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर और ग्राम पंचायत के फीडबैक पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में आरईसी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

राजस्थान में प्रैंचाइजी के रूप में अलग उद्यमियों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी आरईसी के दिशा-निर्देशों के अनुकूल है और उसके पैरा 8 मॉडल 'क' और 'ख' और 'ग' जैसा है।

क) मीटर रीडिंग और बिलिंग

ख) राजस्व वसूली और यूटिलिटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उसकी अदायगी।

ग) वाणिज्यिक और बिलिंग शिकायतों का निवारण

घ) विद्युत कनेक्शनों की स्थिति के बारे में फीडबैक

15.0 राजस्व निरंतरताः

विद्युत मंत्रालय/ भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन और आरईसी के दिशा-निर्देशों में प्रैंचाइजी की राजस्व निरंतरता की अपेक्षा की गई है। भारत सरकार द्वारा राजस्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत इस प्रकार है

15.1 थोक आपूर्ति टैरिफः

राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली के अधीन थोक आपूर्ति टैरिफ को लागू नहीं किया गया है। अतः, थोक आपूर्ति टैरिफ के बारे में नमूना ग्रामों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

15.2 पूर्णरूपेण बोली

इन दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित है कः

जब कभी व्यवहार्य हो, थोक आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण का प्रयास बोली के जरिए किया जाए।

राजस्थान में अभी तक थोक आपूर्ति टैरिफ निर्धारित नहीं किया गया है और प्रैंचाइजी द्वारा बिजली की खरीद नहीं की जाती है। भविष्य में भी थोक आपूर्ति टैरिफ के लिए उस स्थिति में ही बोली का प्रयास किया जा सकता है जब प्रैंचाइजी प्रणाली ग्राम में स्थिर हो जाए और कार्यक्षेत्र का आकार सुनिश्चित हो जाए।

15.3 राज्य द्वारा राजस्व सब्सिडी

इन दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि थोक आपूर्ति टैरिफ राज्य यूटिलिटी द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्तुत किया जाने वाला एक पूर्ण कारक होगा ताकि उनकी राजस्व मांग और टैरिफ का निर्धारण किया जा सके।

नमूना ग्रामों के सर्वेक्षण का परिणाम यह है कि प्रैंचाइजी को अपना कार्य स्थायी करने के लिए दी जाने वाली सेवा के मार्जिन को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि ये मार्जिन प्रैंचाइजी को स्थायीत्व

प्रदान करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के टैरिफ को अन्य शहरी उपभोक्ताओं के टैरिफ के बराबर रखा जाए। यूटिलिटी को राज्य सरकारों से कुछ सब्सिडी की जरूरत होगी ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी वितरण सेवा बनाए रखने के कारण होने वाली हानियों को पूरा कर सकें।

16. राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाः

राजस्थान में 230 ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन चुना गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल थे। प्रैंचाइजी का मॉडल निवेश आधारित है और उसे राजस्थान में 1350 ग्रामों में कार्य करना है। ये प्रैंचाइजी आरईसी के दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य कर रहे हैं। आरईसी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन ऐसे ग्रामों को शामिल करने में प्राथमिकता दी है, जो अभी तक पूर्णतः अविद्युतीकृत हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन विद्युतीकृत ग्रामों के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शामिल करना चाहता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली की शुरुआत करने वाली संस्था है।

17. प्रैंचाइजी प्रणाली के कारण सुधारः

राजस्थान में प्रैंचाइजी/एजेंट ग्रामों में राजस्व वसूली के प्रबंधन के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो पहले बहुत कम होती थी। प्रैंचाइजी के जरिए एकल बिंदु विद्युत आपूर्ति होने से ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूली में काफी सुधार हुआ है।

नमूना ग्रामों में प्रैंचाइजी की नियुक्ति के बाद राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है। यह विवरण विद्युत प्रभागों से प्राप्त किया गया और उपभोक्ताओं से मासिक प्राप्ति और यूटिलिटी को अदायगी नामक तालिकाओं में दर्शाया गया है, जो इसके साथ संलग्न हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बिल की रकम और विद्युत खपत में वृद्धि हुई है और राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली लागू होने के बाद ग्रामों में राजस्व की वसूली भी बढ़ी है।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लगभग सभी नमूना ग्रामों में ग्राम पंचायत द्वारा यह महसूस किया गया कि ग्रामों में बिजली की चोरी घट कर लगभग शून्य हो गई है (100 प्रतिशत गांवों में

5 प्रतिशत से कम)। फ्रैंचाइजी ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के सहयोग से गैर-कानूनी उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन नियमित करवाने के लिए सहमत करने में सफलता पाई है। बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया को सरल भी बनाया है। बिजली के नियमित और कानूनी उपभोक्ताओं ने बिजली की चोरी के खिलाफ सतर्क रहने में फ्रैंचाइजी की मदद की है।

बोर्ड ने फ्रैंचाइजी को यह प्राधिकार दिया है कि वह अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दे और देयताओं का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन पुनः जोड़ दे। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी इस प्रकार के मामलों में समन्वय करते हैं। बोर्ड फ्रैंचाइजी को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर चूककर्ता उपभोक्ताओं से बकाया वसूल करे। इसके परिणाम अभी अच्छे नहीं हैं।

18. प्रौद्योगिकी सुधारः

फ्रैंचाइजी ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की सहायता से प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर के तकनीकी क्षतियों और राजस्व हानियों को कम करने की कार्रवाई की है।

यह भी प्रयास किया गया है कि वितरण ट्रंसफार्मरों को वहां लगाया जाए, जहां बिजली की खपत अधिक है। इससे एलटी लाइनों की लंबाई कम होगी और तकनीकी क्षति में कमी आएगी। डीटीआर की क्षमता भी कम की जा रही है ताकि इसे उपभोक्ता के नजदीक लाया जा सके। प्रेषित लोड के आधार पर कंडक्टर के आकार पर भी ध्यान दिया जाता है। अर्थिंग में सुधार किया जा रहा है। 11 केवी फीडरों के रास्ते से पेड़-पौधों को हटाया जा रहा है। केबल लगाने की गुणवत्ता और केबल के जोड़ों में सुधार किया जा रहा है।

पुराने मीटरों के स्थान पर नए अच्छी गुणवत्ता वाले मीटरों को लगाने पर बल दिया जा रहा है। नमूना ग्रामों के सर्वेक्षण से पता चला है कि इलेक्ट्रोनिक मीटर 80 प्रतिशत उपलब्ध करा दिए गए हैं और 20 प्रतिशत मीटर मैकेनिकल प्रकार के लगाए गए हैं। राजस्थान के ग्राम में इलेक्ट्रोनिक मीटर का स्वामित्व वितरण कंपनियों/ यूटिलिटी के पास है। उपभोक्ता

इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाने बंद कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात का अच्छा संकेत है कि वितरण प्रणाली में सुधार हो रहा है।

19. सभी और गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बिजली की उपलब्धताः

नमूना ग्रामों में यह पाया गया कि सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं परंतु सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला हुआ है। कुल मिलाकर, कुल 1299 आवासों में से 555 आवासों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इन ग्रामों में 82 वाणिज्यिक कनेक्शन भी हैं।

इस प्रकार, 42 प्रतिशत आवासों को बिजली की उपलब्धता सुलभ है और ऐसी संभावना है कि यदि वे बिजली लेना चाहें तो यह सुविधा 100 प्रतिशत आवासों को सुलभ कराई जा सकती है।

बताया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में पर्याप्त विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसी आशा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकीकरण योजना को लागू करने के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।

20. फ्रैंचाइजी प्रणाली के लिए मानीटरिंग तंत्रः

इस समय राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड-मुख्यालय में महाप्रबंधक (कमीशन-राजस्व) फ्रैंचाइजी/ एजेंट आधारित एकल बिंदु विद्युत आपूर्ति प्रणाली की प्रगति पर नजर रखते हैं। फ्रैंचाइजी प्रणाली राजस्व वसूली में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। विभिन्न जिलों में कार्य करने वाले फ्रैंचाइजी धीरे-धीरे अपने आपको संगठित कर रहे हैं और बेहतर वाणिज्यिक शर्तों की मांग कर रहे हैं।

फ्रैंचाइजी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से टिकाऊ वितरण प्रणाली विकसित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यमान और विकसित हो रहे व्यक्तियों/ सहकारी उद्यमियों के प्रचालन मापदंडों की सावधानी से मानीटरिंग करनी चाहिए और फ्रैंचाइजी के कार्य के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड/ वितरण कंपनी द्वारा उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं का सहयोग और ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोजित फ्रैंचाइजी समूहों का अभी राज्य में विकास किया जाना है। फ्रैंचाइजी के कार्यक्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य के फ्रैंचाइजी के वर्तमान मॉडल को राजस्व निरंतरता प्रदान नहीं की जा सकती, परंतु बेहतर मॉडलों के विकास के लिए लगातार अध्ययन और फीडबैक अपेक्षित होगा।

कुछ फ्रैंचाइजियों में ऐसी प्रवृत्ति थी कि वे चूक करते हैं और उनमें से कुछ ने अपना कार्य छोड़ भी दिया है। यह स्पष्ट है कि फ्रैंचाइजी यूटिलिटी और उपभोक्ताओं के बीच का एक माध्यम है और उन्हें बिजली के कारोबार में ग्रामीण क्षेत्रों सें प्राप्त होने वाली समस्त नकदी संभालनी होती है। यदि आरंभिक अवस्था में ही यूटिलिटी द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावी तरीके विकसित न किए गए तो दीर्घ अवधि में फ्रैंचाइजी का व्यवहार अप्रसन्नतापूर्ण और अप्रिय स्थिति पैदा कर सकता है।

वर्तमान ढांचे में फ्रैंचाइजी को हर महीने फील्ड स्तर पर उनके द्वारा रखी गई उपभोक्ता खाता शीट (जिसमें नए कनेक्शन भी शामिल हैं) की प्रति बोर्ड को भेजनी होती है। ऐसा देखा गया है कि कई फ्रैंचाइजी/एजेंट ऐसा नियमित रूप से करने में असफल रहे हैं। लेजर शीट को कई मामलों में नियमित रूप से अद्यतन भी नहीं किया जाता है।

इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड/ वितरण कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह फ्रैंचाइजियों के संबंध में प्रभावी मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करे ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके, अनिच्छुक उद्यमियों का हटाया जा सके और प्रचालन की प्रणाली में सुधार किया जा सके।

21. फ्रैंचाइजी प्रणाली के विकल्पः

फ्रैंचाइजी को यूटिलिटी के लिए एक बाहरी कार्यकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार बाहरी कार्यकर्ताओं और चुने गए फ्रैंचाइजी के जैसे कई अन्य विकल्प हो सकते हैं। इस बात की आरईसी के दिशा-निर्देशों में भी विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें कई विकल्पों का प्रावधान है।

विद्युत मंत्रालय/ भारत सरकार मूलतः फ्रैंचाइजी प्रणाली में रुचि रखती है ताकि लगभग 90 प्रतिशत अनुदान की निधि के जरिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सृजित

ग्रामीण विद्युत ढांचे का प्रभावी उपयोग हो सके। स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रभावी प्रचालन समझा जाता है।

इसके साथ ही, प्रैंचाइजी का उद्यमी स्वरूप और निरंतर प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य मॉडल का सृजन करना भी एक चुनौती है। आपूर्ति की गई बिजली के बदले नकद वसूली के लिए उपभोक्ताओं के पास जाना बाहरी रूप से कार्य करने के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है। राज्य विद्युत बोर्ड में वितरण प्रणाली काफी समय से खराब हो गई है और बिजली की चोरी राज्य विद्युत बोर्ड के समस्त नकदी संबंधी कार्य में एक सामान्य समस्या बन गई है। वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं के साथ नकद लेन-देन विद्युत उद्योग का एक अति संवेदनशील भाग है। विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली के कारोबार में बिजली के वितरण और बिजली के व्यापार को पहले ही अलग-अलग क्रियाकलाप बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रैंचाइजी प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि ग्रामों से राजस्व की वसूली में काफी हानि हो रही थी। राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत कंपनियों को अलग किए जाने के बाद यह वांछनीय होगा कि इसे ग्रामीण और शहरी के रूप में विभाजित न किया जाए। वितरण कंपनियों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वे ऐसे प्रैंचाइजी मॉडल अथवा प्रक्रिया-बाह्य मॉडल तैयार करें जिससे राजस्व वसूली पर उनका बेहतर और प्रभावी नियंत्रण हो।

राजस्थान में, जैसाकि जोधपुर बालेसर पंचायत समिति ने बताया कि कुछ गांवों वाली एक पूरी पंचायत समिति को किसी ऐसे प्रैंचाइजी को सौंपा जा सकता है जो उन्हीं गांवों का अथवा बाहर का हो सकता है। यह मॉडल नागालैंड या असम के मॉडल से बेहतर है क्योंकि इससे प्रैंचाइजी के पास काम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिससे वह अधिक सशक्त बनता है।

22. प्रैंचाइजी प्रणाली की सफलताः

विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार और आरईसी के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली की सफलता को देखा जा सकता है। प्रैंचाइजी प्रणाली की सफलता का मूल्यांकन निम्नलिखित बातों से किया जा सकता है

- दिशा-निर्देशों का पालन करना
- लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होना

22.1 दिशा-निर्देशों का परिपालनः

राजस्थान के जोधपुर वितरण सर्किल में प्रैंचाइजी निम्नलिखित के माध्यम से कार्य कर रहे है

- प्रतियोगी तरीके से अलग-अलग उद्यमी
- मॉडल 'ख'-राजस्व प्रैंचाइजी-वितरण ट्रंसफार्मर पर आधारित निवेश।

प्रैंचाइजियों की नियुक्ति विज्ञापन के जरिए खुली बोली के आधार पर की जाती है, जो ग्रामों के उस समूह में प्रति ग्राम सेवा शुल्क पर आधारित होती है। ग्रामों को उचित श्रेणी में आगे वर्गीकृत किया जाता है। अतः चयन की प्रणाली पारदर्शी है और आरईसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। प्रैंचाइजी अलग-अलग उद्यमी हैं न कि कोई संगठित समूह। राजस्थान में प्रैंचाइजियों का चयन उनके उद्यमी गुणों के आधार खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रैंचाइजी की क्षमताओं को भी महत्त्व देता है और समुचित सुरक्षा राशि जमा कराना भी सुनिश्चित करता है। वे निर्धारित प्रचालन मापदंडों के अधीन प्रैंचाइजी के कार्य-निष्पादन पर भी नजर रखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रैंचाइजी मॉडल इन दिशा-निर्देशों का पालन करता है और इसकी सफलता की काफी संभावना है। राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली को कुल मिलाकर प्रचालन के बढ़े आकार में धारणीय मॉडल समझा जा सकता है। इस प्रणाली को और अच्छा बनाने के लिए अधिक अनुभव और फीडबैक की आवश्यकता है।

22.2 लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलताः

राजस्थान के जोधपुर जिले और बालेसर ग्राम समिति में कार्य कर रही प्रैंचाइजी प्रणाली अभी बहुत आरंभिक अवस्था में है। इस आरंभिक अवस्था के बावजूद ग्रामों, प्रैंचाइजी और यूटिलिटी से विचार करने पर इस बात का विश्वास होता है कि यह निम्नलिखित में सुधार लाने में काफी योगदान दे रही है

- मीटर रीडिंग और बिलिंग
- राजस्व की वसूली
- उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई

- चोरी कम करना
- नए कनेक्शन देना
- वितरण प्रणाली में कमजोरी की सूचना देना
- बिजली के हिसाब-किताब रखने के लिए मीटरिंग
- संचित बकाया में कमी लाना

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वितरण कंपनी) का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह था कि यूटिलिटी सभी आवश्यक सावधानियां बरत रही थी और ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही थी ताकि वह पूर्णतः वाणिज्यिक मॉडल में प्रचालन प्रणाली के लिए गंभीर प्रयास कर सके। इससे चोरी के मामले लगभग शून्य हो जाएंगे और अनुमान है कि उपभोक्ताओं के संतोष में वृद्धि होगी। उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने और अपने बिलों का निपटान करने में जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसमें जोधपुर राजस्थान की बालेसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में काफी सुधार आया है। राजस्थान में प्रैंचाइजी प्रणाली के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की और पहुंच का वायदा किया गया है।

23. निष्कर्ष

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन प्रैंचाइजी प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत प्रभाव डाला है। प्रैंचाइजी प्रणाली को राजस्थान में अभी और विकास करना है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और बालेसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में काम करने वाली पहली प्रैंचाइजी में 31 गांव हैं। इससे यूटिलिटी और उपभोक्ता, दोनों को बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। ग्राम का दौरा करने और इराडे दल द्वारा यूटिलिटी, ग्रामीण उपभोक्ताओं और प्रैंचाइजी के साथ चर्चा करने से इस बात का पता चला कि प्रत्येक हितधारक बाजार संतुलन बनाना चाहता है ताकि प्रैंचाइजी प्रणाली को सफलता की ओर ले जाया जा सके। जोधपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एक 11 केवी फीडर नवीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे समुचित स्तर पर फीडर में लोड को सीमित कर के तकनीकी क्षतियों पर नियंत्रण पाने की संभावना है। वाणिज्यिक क्षतियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रैंचाइजी प्रणाली को अच्छा मॉडल पाया गया है। यूटिलिटी का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि यूटिलिटी द्वारा बाहर से जनशक्ति लेना वाणिज्यिक क्षतियों को

कम करने में भी प्रभावी हो सकता है। इस दृष्टि को भी फ्रैंचाइजी प्रणाली के माध्यम से परखा जा सकता है। फ्रैंचाइजी प्रणाली के प्रयोग से बिजली की चोरी और अनधिकृत खपत में काफी कमी आने की संभावना है। इस प्रणाली ने कुछ रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी से उपभोक्ताओं और राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग में सुधार देखा गया है। खराब मीटरों को बदला जा रहा है और इलेक्ट्रोनिक मीटरों का कुछ हद तक विरोध पाया गया है। नियमित रूप से मीटर रीडिंग और माह में दो बार बिल देने का कार्य प्रगति पर है और तकनीकी क्षतियों को कम करने के लिए वितरण तंत्र में सुधार किया जा रहा है। ग्रामीण तंत्र में जो वास्तविक समस्या सामने आ रही है, वह है बिजली की उपलब्धता में कमी, बिजली की आपूर्ति में रुकावट और बिजली की खराब गुणवत्ता। चोरी में कमी लाने और ग्रामों में 100 प्रतिशत मीटरिंग से ऊर्जा संरक्षण और बिजली का कुशल उपयोग किया जा रहा है। फ्रैंचाइजी प्रणाली द्वारा जिस मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, वह प्रचालन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना है। इसके अलावा, राजस्व वसूली की सुरक्षा और प्रणाली को बनाए रखने में राजस्व से सब्सिडी की जरूरत का अभी विवरण प्राप्त किया जाना है। वितरण कंपनियों के स्तर पर फ्रैंचाइजी प्रणाली की उचित मानीटरिंग की जा रही है ताकि इनके जरिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं बेहतर हो सकें। ऐसा करना यूटिलिटी और फ्रैंचाइजी दोनों के लिए अच्छा होगा।

कुछ सुझाव दिए गए हैं कि फ्रैंचाइजी का कार्य पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा जा सकता है। हालांकि यह सुझाव लोकतांत्रिक लगता है लेकिन इसमें वाणिज्यिक उद्देश्य की कमी है। बेहतर वितरण प्रणाली के लिए राजनीति को उद्यमशीलता और आर्थिक उद्देश्यों को अलग रखना आवश्यक है। फ्रैंचाइजी मॉडल काफी अच्छा है। विशेषज्ञता पर जोर देकर इसे और अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। राजस्थान मॉडल फ्रैंचाइजी प्रचालन के अति वांछनीय मॉडलों में से एक है। दो या दो से अधिक ग्राम समितियों को इसके अधीन लाकर इसके आकार को बढ़ाया जा सकता है ताकि इसे टिकाऊ बनाया जा सके। यूटिलिटी को यह स्वतंत्रता दी जा सकती है कि वह अपने तरीके से फ्रैंचाइजी प्रणाली का मॉडल तैयार करे और इसका मुख्य उद्देश्य क्षतियों को कम करना और किफायती प्रचालन के लिए बाहरी सेवाओं को लेना हे। फ्रैंचाइजी के लिए ऐसी प्रोत्साहन प्रणाली तैयार की जानी चाहिए जिससे यूटिलिटी और फ्रैंचाइजी दोनों का हितसाधान हो।

तालिका **1**

आवासों का आय स्तर (प्रति वर्ष)

ग्राम	पैन नं. वाले	आय **1.5** लाख से **2.00** लाख सं.	आय **1.0** लाख से **1.5** लाख सं.	आय **60** हजार से **1.00** लाख सं.	**30** हजार से **60** हजार सं.	**10** हजार से **20** हजार सं.	**10** हजार से कम
अजीत नगर	-	-	-	-	7	2	1
तोलेसर चरनन	-	-	-	1	5	3	1
तोलेसर परोहितन	-	-	-	2	4	2	2
भतेलई चरनन	1	-	4	3	2	-	-
भतेलई परोहितन	-	-	3	5	2	-	-
डूगर	1	-	-	1	3	3	2
अगोलई	2	1	3	2	1	1	-
वियाह्नु नगर	2	-	3	4	1	-	-
सुरानी	-	-	2	4	4	-	-

तालिका **2**

ग्रामों को कुल वितरित ऊर्जा आपूर्ति और राजस्व वसूली में वृद्धि

ग्राम	ग्रामों में आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि **2006-07 (**दिसंबर**-**जनवरी**)**	बिल की कुल ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि **2006-07 (**दिसंबर**-**जनवरी**)**	राजस्व वसूलियों में प्रतिशत वृद्धि **2006-07 (**दिसंबर**-**जनवरी**)**
अजीत नगर	-	-	7
तोलेसर चरनन	22%	95%	15
तोलेसर परोहितन	38%	220%	11
भतेलई चरनन	55%	148%	02
भतेलई परोहितन	23%	96%	07
डूगर	-	-	09
अगोलई	0.35%	58.8%	-0.17
वियाह्नु नगर	14%	82%	1.2
सुरानी	0.08%	66%	9

तालिका 3(क)

ग्राम में परिवार/ उपभोक्ता

ग्राम	परिवारों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या	घरेलू कनेक्शनों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे के कनेक्शनों की संख्या	वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या	औद्योगिक कनेक्शनों की संख्या	ऐसे परिवारों की संख्या, जिनके पास पंप सेट हैं
अजीत नगर	91	724	70	-	-	-	-
तोलेसर चरनन	127	885	31	8	1	.	1
तोलेसर परोहितन	187	1390	54	4	2	.	-
भतेलई चरनन	66	430	16	1	1	.	-
भतेलई परोहितन	148	910	74	6	-	-	-
डूगर	168	1164	50	2	8	-	-
अगोलई	306	1975	160	6	62	7	1
वियाह्नु नगर	120	1027	20	-	-	-	-
सुरानी	85	595	80	4	6	-	-

तालिका 3(ख)

ग्रामों में परिवार/ उपभोक्ता

ग्राम	5 एचपी पंप सेट	10 एचपी और अधिक पंप सेट	जन सुविधाएं	विद्यालयों की संख्या	स्वास्थ्य केंद्र	कार्यालय
अजीत नगर	-	-	-	2	-	-
तोलेसर चरनन	1	-	-	2	-	-
तोलेसर परोहितन	-	-	-	1	-	-
भतेलई चरनन	-	-	-	2	-	-
भतेलई परोहितन	-	-	-	1	-	-
डूगर	-	-	-	1	-	-
अगोलई	-	-	-	1	1	3
वियाह्नु नगर	-	-	-	1	-	-
सुरानी	-	-	-	1	-	-

तालिका **4**

ग्राम के आवास की विशेषताएं

ग्राम	बड़ी जोत वाले परिवार	छोटी जोत वाले परिवार	शिक्षण/ अन्य सेवा करने वालों की संख्या	एम/सी कौशल सेवा मुहैया कराने वाले	छोटा-मोटा व्यापार करने वाले	अच्छा कारोबार करने वाले	अभिनिर्धारित गरीबी रेखा से नीचे वाले संख्या	इंजीनियरी सेवा प्रदान करने वाले	खेती मजदूर के रूप में कार्य करने वालों की सं.
अजीत नगर	5	25	5	-	5	-	30	1	515
तोलेसर चरनन	5	20	6	-	3	2	39	-	525
तोलेसर परोहितन	7	50	10	-	20	2	20	-	870
भतेलई चरनन	15	35	10	-	2	1	22	-	128
भतेलई परोहितन	40	108	4	3	7	2	23	-	615
डूगर	10	25	10		3	.	18	-	-
अगोलई	5	55	18	1	25	3	22	-	1675
वियाह्नु नगर	50	30	20	-	15	-	28	-	635
सुरानी	60	25	2	-	-	4	45	-	330

तालिका 5(क)

ग्रामों में आर्थिक क्रियाकलाप

ग्राम	कृषि पर जीवन यापन करने वाले परिवार	कुशल मजदूर	अकुशल मजदूर	खाद्य प्रसंस्करण	शिक्षण	मशीन उत्पादन	उपस्कर की मरम्मत
अजीत नगर	75	5	5	1	1	-	1
तोलेसर चरनन	80	20	10	2	1	-	-
तोलेसर परोहितन	130	15	30	2	1	2	-
भतेलई चरनन	35	10	5	-	2	-	-
भतेलई परोहितन	90	20	25	-	2	-	3
डूगर	108	25	30	2	1	-	-
अगोलई	225	40	30	2	2	-	2
वियाह्नु नगर	90	10	20	-	-	-	-
सुरानी	75	5	5	-	1	-	-

तालिका 5(ख)

ग्रामों में आर्थिक क्रियाकलाप

ग्राम	एम/सी/ उपस्कर की आपूर्ति	किराना/ कपड़े की दुकान	बागबानी	फर्नीचर	भोजनालय	सेवा संबंधी दुकान	अन्य
अजीत नगर	-	2	-	-	-	1	-
तोलेसर चरनन	-	-	-	-	-	1	-
तोलेसर परोहितन	-	-	-	2	-	-	5
भतेलई चरनन	-	1	-	1	-	-	2
भतेलई परोहितन	-	-	-	-	-	3	5
डूगर	-	-	-	-	2	-	-
अगोलई	-	-	-	2	3	-	-
वियाह्नु नगर	-	-	-	-	-	-	-
सुरानी	-	2	5	2	-	-	-

तालिका **6**

मकानों के निर्माण का प्रकार

ग्राम	जनगणना कोड	पक्का निर्माण	टिन/लकड़ी/ बांस और इपट	ठीक छत वाला कच्चा निर्माण	अस्थायी छत वाला कच्चा निर्माण	घास-फूंस, लकड़ी, प्लास्टिक वाला अस्थायी निर्माण
अजीत नगर	927	75	25	-	-	-
तोलेसर चरनन	928	25	8	63	30	-
तोलेसर परोहितन	929	75	25	24	26	-
भतेलई चरनन	930	45	25	.	10	-
भतेलई परोहितन	932	160	15	.	15	-
डूगर	933	102	32	28	6	-
अगोलई	934	215	10	25	50	-
वियाह्नु नगर	936	70	10	-	-	-
सुरानी	937	50	35	15	-	-

तालिका 7(क)

ग्राम में उपयोग किए जाने वाले विद्युत साधित्र

ग्राम	बल्ब/ टयूब/ पंखे	कंपेक्ट प्रतिदीप्ति लैंप	रेडियो/ रिकार्ड प्लेयर/ टेलीविजन	विद्युत पंप और मोटर	विद्युत चालित एम/सी	डिजर्ट कूलर
अजीत नगर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
तोलेसर चरनन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
तोलेसर परोहितन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं
भतेलई चरनन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
भतेलई परोहितन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
डूगर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं
अगोलई	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
वियाह्नु नगर	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
सुरानी	हां	हां	हां	हां	हां	हां

तालिका 7(ख)

ग्राम में उपयोग किए जाने वाले विद्युत साधित्र

ग्राम	रेफ्रिजरेटर	एयर कंडीशनिंग/ इलेक्ट्रिक कुकर	वाशिंग मशीन/ फैक्ट्री मशीनें	कपड़ों पर प्रेस करने की बिजली की इस्त्री	इलेक्ट्रिक लेथ मशीन	विद्युत चालित आरा/ बरमा	अन्य
अजीत नगर	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
तोलेसर चरनन	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
तोलेसर परोहितन	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
भतेलई चरनन	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भतेलई परोहितन	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
डूगर	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
अगोलई	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
वियाह्नु नगर	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सुरानी	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं

तालिका 8

उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत

ग्राम	उपले/ कोयला/	लाख	गैस	मिट्टी का तेल/डीजल/	बैटरी	बिजली	पशु/	सूर्य

	लकड़ी			पेट्रोल			आदमी	
अजीत नगर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं
तोलेसर चरनन	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
तोलेसर परोहितन	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
भतेलई चरनन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
भतेलई परोहितन	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां		हां
डूगर	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
अगोलई	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
वियाह्नु नगर	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां
सुरानी	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं

तालिका **9**

प्रति उपभोक्ता कनेक्टेड लोड

ग्राम	जनगणना कोड	**0.5** के डब्ल्यू तक संख्या	**0.5** से **1** के.डब्ल्यू. तक संख्या	**1** से **2** के.डब्ल्यू तक संख्या	**2** से **5** के.डब्ल्यू. तक संख्या	**5** के.डब्ल्यू से अधिक संख्या
अजीत नगर	927	-	70	-	-	-
तोलेसर चरनन	928	8	31	1	-	-
तोलेसर परोहितन	929	4	54	2	-	-
भतेलई चरनन	930	1	16	1	-	-
भतेलई परोहितन	932	6	74	-	-	-
डूगर	933	2	50	8	-	-
अगोलई	934	6	160	62	-	7
वियाह्नु नगर	936	-	20		-	-
सुरानी	937	4	80	6	-	-

तालिका **10**

ग्राम में विद्युत नेटवर्क

ग्राम	**33/11** केवी/ एस फीडिंग ग्राम	क्षमता - एमवीए	क्या सब स्टेशन अन्य ग्रामों को भी फीड कर रहा है	ग्राम में उपलब्ध वितरण क्षमता	ग्राम में डीटी क्षमता	ग्राम में बिजली के खंभों/ वितरण प्वाइंट की संख्या	ग्राम में डीजी सेटों की संख्या और आकार
अजीत नगर	हां	1.6 एमवीए	हां	50 केवीए	2(25अ25)	45	नहीं
तोलेसर चरनन	हां	1.6 एमवीए	हां	40 केवीए	1(40)	30	नहीं
तोलेसर परोहितन	हां	1.6 एमवीए	हां	40 केवीए	1(40)	25	नहीं
भतेलई चरनन	हां	1.6 एमवीए	हां	25 केवीए	1(25)	10	नहीं
भतेलई परोहितन	हां	1.6 एमवीए	हां	63 केवीए	1(63)	32	नहीं
डूगर	हां	1.6 एमवीए	हां	63 केवीए	1(63)	40	नहीं
अगोलई	हां	1.6 एमवीए	हां	163 केवीए	1(100अ63)	60	नहीं
वियाह्नु नगर	हां	1.6 एमवीए	हां	25 केवीए	1(25)	12	नहीं
सुरानी	हां	1.6 एमवीए	हां	126 केवीए	2(63अ63)	36	नहीं

तालिका 11

लगाए गए मीटर

ग्राम	वितरण ट्रंसफार्मर में 11 केवी फीडर आवक	वितरण ट्रंसफार्मर की जावक क्षमता	बिजली के खंभे पर	उपभोक्ता के परिसरों में	वितरण ट्रंसफार्मर की अवस्थिति अनुकूलतम है	वितरण ट्रंसफार्मर की बनावट/ गुणवत्ता	जोड़ों की गुणवत्ता	बिछाए गए केबलों की गुणवत्ता
अजीत नगर	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
तोलेसर चरनन	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
तोलेसर परोहितन	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
भतेलई चरनन	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
भतेलई परोहितन	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
डूगर	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
अगोलई	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
वियाह्नु नगर	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी
सुरानी	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	एन.ए.	अच्छी	अच्छी

तालिका 12

ग्राम में नेटवर्क की लंबाई (किलो मीटर में)

ग्राम	33 के.वी. फीडर	11 के.वी. फीडर	0.44 के.वी फीडर (3-फेज)	0.23 के.वी. फीडर (1-फेज)
अजीत नगर	-	4 किलो मीटर	-	3 किलो मीटर
तोलेसर चरनन	-	2 किलो मीटर	-	1.8 किलो मीटर
तोलेसर परोहितन	-	6 किलो मीटर	0.4 किलो मीटर	4 किलो मीटर
भतेलई चरनन	-	5 किलो मीटर	-	1.6 किलो मीटर
भतेलई परोहितन	-	2 किलो मीटर	0.3 किलो मीटर	0.7 किलो मीटर
डूगर	22 किलो मीटर	3 किलो मीटर	-	2.4 किलो मीटर
अगोलई	-	3 किलो मीटर	1.2 किलो मीटर	2.5 किलो मीटर
वियाह्नु नगर	-	2 किलो मीटर	-	0.7 किलो मीटर
सुरानी	-	7 किलो मीटर	0.5 किलो मीटर	2.2 किलो मीटर

तालिका **13**

प्रैंचाइजी द्वारा किए जाने वाले कार्य

ग्राम	नए कनेक्शन देना	उपभोक्ता की शिकायत का निवारण	मीटर दोष को ठीक करना	फ्यूज बदलना	वितरण ट्रंसफार्मर की मरम्मत/ बदलना	**11** केवी फीडर दोष/ उपभोक्ता परिसर दोष	**0.44/ 0.23** केवी फीडर दोष	आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार/ लोड संतुलित रखने में सहयोग
अजीत नगर	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	अच्छी	अच्छी
तोलेसर चरनन	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
तोलेसर परोहितन	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
भतेलई चरनन	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
भतेलई परोहितन	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
डूगर	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
अगोलई	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
वियाह्नु नगर	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
सुरानी	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां

तालिका **14**

प्रैंचाइजी द्वारा दिए गए कनेक्शन

ग्राम	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (घरेलू)	गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की संख्या (घरेलू)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संख्या	कृषि/ वाणिज्यिक	औद्योगिक एलटी/ एचटी	संस्थागत संख्या
अजीत नगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
तोलेसर चरनन	नहीं	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
तोलेसर परोहितन	नहीं	6	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
भतेलई चरनन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
भतेलई परोहितन	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डूगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अगोलई	नहीं	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
वियाह्नु नगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सुरानी	नहीं	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

तालिका **15**

प्रैंचाइजी की प्राप्तियां और व्यय

प्रैंचाइजी	दिसंबर, **2006**	जनवरी, **2007**
प्रैंचाइजी का मासिक व्यय	96000	40500
उपभोक्ताओं से प्रैंचाइजी की मासिक प्राप्ति	-	240789
प्रैंचाइजी द्वारा यूटिलिटी को मासिक अदायगी	-	240789

तालिका **16**

प्रैंचाइजी के कर्मचारी

कर्मचारियों की कुल संख्या	6
10वीं से कम पढ़े कर्मचारियों की संख्या	-
10वी से स्नातक स्तर तक पढ़े कर्मचारियों की संख्या	5
बी.ए./बी.एससी. से अधिक पढ़े कर्मचारियों की संख्या	1
इंजीनियरिंग पढ़े कर्मचारियों की संख्या	1
प्रैंचाइजी द्वारा दी गई प्रतिभूति	50000 रुपए 5000 रुपए प्रति मास 10 महीनों के लिए
ऐसे ग्रामों की संख्या, जहां एक ही प्रैंचाइजी काम कर रहा है	9
प्रैंचाइजी द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति का आधार	-

तालिका **17**

वर्ष 2006-07 में हुई उपभोक्ताओं की वृद्धि की संख्या

ग्राम	घरेलू/ औद्योगिक/ कृषि	वाणिज्यिक	कुल आपूर्ति और बिल की बिजली के बीच अंतर
अजीत नगर	शून्य	-	-
तोलेसर चरनन	शून्य	3	10%
तोलेसर परोहितन	शून्य	6	2%
भतेलई चरनन	शून्य	-	10%
भतेलई परोहितन	शून्य	2	2.5%
डूगर	शून्य	-	-
अगोलई	शून्य	2	4%
वियाह्नु नगर	शून्य	-	4%
सुरानी	शून्य	2	7%

तालिका **18**

प्रैंचाइजी के संबंध में उपभोक्ता फीडबैक

ग्राम	आपूर्ति की गुणवत्ता	आपूर्ति के घंटे	बिलिंग और वसूली	उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण	राज्य बिजली बोर्ड/ वितरण कंपनियों और प्रैंचाइजी के बीच संबंध	सुधार के लिए सुझाव	मीटर प्रणाली	मीटर रीडिंग
अजीत नगर	सुधार हुआ	दिन में तीन फेजों में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	बिलिंग ठीक है, वसूली घर-घर जाकर की जानी चाहिए।	शिकायत पर तुंत कार्रवाई की जाती है।	अच्छे	रात में तीन फेज में आपूर्ति अपेक्षित है।	इलेक्ट्रोनिक मीटर तेज चलते हैं।	माह में दो बार नियमित सेवा।
तोलेसर चरनन	सुधार हुआ	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	वितरण कंपनियों द्वारा बिलिंग और प्रैंचाइजी द्वारा वसूली	संतोषजनक	अच्छे	आपूर्ति के घंटे बढ़ाए जाएं।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
तोलेसर पुरोहितन	दिन में बेकडाउन	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	आपूर्ति समय में तीन फेज समय बढ़ाया जाए।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
भतेलई चरनन	सुधार हुआ	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	घरेलू टैरिफ घटाया जाए	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।

भतेलई परोहितन	आपूर्ति नियमित है, कोई रुकावट नहीं है।	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	नये कनेक्शन देने की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
डूगर	वोल्टता बराबर नहीं है।	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	घ्रेलू टैरिफ नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
अगोलई	वोल्टता बराबर है।	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	रात में तीन फेज में आपूर्ति अपेक्षित है।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
वियाह्नु नगर	वोल्टता बराबर है।	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	आपूर्ति समय बढ़ाया गया।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।
सुरानी	सुधार हुआ	दिन में तीन फेज में 6 घंटे और रात में एक फेज में 12 घंटे।	ग्रामों में वसूली की जानी चाहिए।	संतोषजनक	अच्छे	आपूर्ति समय बढ़ाया गया।	ठीक	माह में दो बार नियमित सेवा।

तालिका **19**

टैरिफ ढांचा

क्या प्रैंचाइजी के लिए बीएसटी विद्यमान है	नहीं
बीएसटी रुपए/ केडब्ल्यूएच	लागू नहीं
उपभोक्ताओं के लिए कौन टैरिफ निर्धारित करता है	वितरण कंपनियां/ यूटिलिटी
प्रैंचाइजी के लिए बीएसटी कौन निर्धारित करता है।	लागू नहीं

तालिका **20**

उपभोक्ता को खुदरा टैरिफ (रुपए/के.डब्ल्यू.एच.)

गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को घरेलू	लागू नहीं
कृषि के लिए	लागू नहीं
घरलू उपयोग के लिए	50 यूनिट तक के लिए 2.35 रु. / 50 यूनिट से अधिक के लिए 3.90 रुपपए
वाणिज्यिक उपयोग के लिए	100 यूनिट तक के लिए 4.90 रुपए और 100 यूनिट से अधिक के लिए 5.30 रुपए
औद्योगिक एलटी	3.90 रुपए
औद्योगिक एचटी	लागू नहीं
स्ट्रीट लाइट	लागू नहीं
सार्वजनिक सेवा, विद्यालय, अस्पताल के लिए	वाणिज्यिक दर का 50 प्रतिशत
अन्यों को	लागू नहीं

तालिका 21

मीटर रीडिंग और बिलिंग

क्या उपभोक्ताओं को कोडीकृत किया गया है	हां
मीटर रीडर क शैक्षिक स्तर	10वीं पास से स्नातक स्तर से कम तक
बिल बनाने वाला	वितरण कंपनी द्वारा
बिल निकालने वाला	वितरण कंपनी द्वारा
बिल वितरण करने वाला	प्रैंचाइजी द्वारा घर-घर
प्रैंचाइजी का कार्यालय	अगोलई
बिलिंग चक्रण	2 मास

तालिका 22

उपभोक्ताओं के लिए मीटर

मीटर का स्वामी	वितरण कंपनी/ यूटिलिटी
मीटर का प्रकार	इलेक्ट्रोनिक
उपभोक्ताओं की पहचान संख्या	हां
कंप्यूटर डाटाबेस है	हां, वितरण कंपनी के पास
क्या बिल वितरण और राजस्व वसूली को मिलाया गया है	नहीं

तालिका 23

क्या उन्हें मीटर मुहैया कराया गया है?

गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता	हां, वितरण कंपनी द्वारा
कृषि उपभोक्ता	नहीं
घरेलू उपभोक्ता, जिनके पास अपने मीटर हैं	नहीं
वाणिज्यिक उपभोक्ता	हां, वितरण कंपनी द्वारा
औद्योगिक उपभोक्ता	नहीं
स्ट्रीट लाइटिंग	नहीं
पंचायती/ सार्वजनिक पानी	वितरण कंपनी द्वारा

तालिका 24

बिल वसूली का तरीका

घर-घर जाकर	नहीं
कुछ स्थानों/ ड्राप बाक्स में	नहीं
फ्रैंचाइजी के कार्यालय में	नहीं
पंचायत	नही
यूटिलिटी का बिजली कार्यालय	यूटिलिटी के कार्यालय में फ्रैंचाइजी द्वारा बिल की वसूली

तालिका 25

प्रैंचाइजी द्वारा वसूली

बैंक खाते में	नहीं
नकद रूप में	हां, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बालेसर स्थित कार्यालय में
यूटिलिटी को अदायगी करने का तरीका	प्रैंचाइजी द्वारा नकद
क्या कंप्यूटर डाटाबेस है	हां, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बालेसर स्थित कार्यालय में

तालिका 26

मीटर रीडिंग और बिलिंग

प्रैंचाइजी का चयन करने का तरीका	खुले टेंडर तरीके द्वारा
प्रैंचाइजी की नियुक्ति (तारीख)	1.12.2006
प्रैंचाइजी चलाने वाला	श्री छोटे लाल सुतार
प्रैंचाइजी चलाने वाले का प्रकार	व्यक्ति
प्रैंचाइजी का नाम	मैसर्स बसंत कुमार छोटे लाल, अगोलई, जोधपुर
संपर्क करने वाले का नाम	श्री छोटे लाल सुतार
दूरभाष	94133199196
प्रैंचाइजी का नेट वर्थ	लागू नहीं

तालिका 27

ग्राम पंचायत - फीडबैक

ग्राम	पंचायत का प्रकार	पंचायत का नाम	उपभोक्ता संतुष्टि	टैरिफ में वृद्धि	मीटरों से संतुष्टि	100 प्रतिशत मीटरिंग के बारे में राय	मीटरिंग के समय और दिन के बारे में राय	प्री पेड मीटरों के बारे में राय
अजीत नगर	निर्वाचित	वही	संतुष्ट नहीं	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	इलेक्ट्रोनिक मीटर से संतुष्ट नहीं	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
तोलेसर चरनन	निर्वाचित	वही	90% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
तोलेसर पुरोहितन	निर्वाचित	वही	85% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
भतेलई चरनन	निर्वाचित	वही	85% लोग संतुष्ट	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टैरिफ कम होना चाहिए	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
भतेलई परोहितन	निर्वाचित	वही	90% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	75 प्रतिशत लोग संतुष्ट	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
डूगर	निर्वाचित	वही	90% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	75 प्रतिशत संतुष्ट नहीं	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
अगोलई	निर्वाचित	वही	90% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं
वियाह्नु नगर	निर्वाचित	वही	75% लोग संतुष्ट	टैरिफ बढ़ाया नहीं जाना चाहिए	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं

सुरानी	निर्वाचित	वही	85% लोग संतुष्ट	कोई समस्या नहीं	हां	100% मीटरिंग के बारे में सहमत	लागू नहीं	आवश्यक नहीं

तालिका 28

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में प्रमाण-पत्र जारी किया गया

प्रैंचाइजी का प्रभाव	क्षति घटी, सेवाओं में सुधार हुआ
बिल की रकम/ विभाग की वसूली	बढ़ी
उपस्कर आपूर्ति में हुई वृद्धि	वितरण कंपनी द्वारा वृद्धि
प्रैंचाइजी में रोजगार के अवसर पैदा हुए	छ
मरम्मत कार्य में सुधार हुआ	हां
विद्युत कार्य की गुणवत्ता	अच्छा
वर्तमान में दिन में आपूर्ति के घंटों की संख्या	18 घंटे

तालिका 29

प्रैंचाइजी का प्रशिक्षण

यूटिलिटी के फील्ड स्टाफ द्वारा	हां
प्रशिक्षण सर्किल मुख्यालय द्वारा आयोजित	नहीं
यूटिलिटी का मुख्यालय	बालेसर
प्रैंचाइजी की सहमति	हां

तालिका 30

विद्युतीकृत ग्रामों में प्रैंचाइजी का कार्य

ग्रामों की संख्या	9
मीटर का प्रकार	इलेक्ट्रोनिक
आवासों की संख्या	1298
घरेलू कनेक्शनों की संख्या	555

तालिका 31

प्रैंचाइजी की समस्या - फीडबैक

बिजली में रुकावट	कोई समस्या नहीं
वोल्टता गिरावट	ठीक किया जा सकता है
लाइन फेल होना	कोई समस्या नहीं
बिजली की उपलब्धता	केवल 18 घंटे, 6-6 घंटे 3 फेज, 12 घंटे का एक फेज
टैरिफ का निपटान	वितरण कंपनी द्वारा
बिलिंग	वितरण कंपनी द्वारा
वसूली	अगोलई यूटिलिटी स्थित कार्यालय पर प्रैंचाइजी द्वारा और 40 किलोमीटर दूर बालेसर में जमा किया जाता है
उपभोक्ता शिकायत	घटी
डाटाबेस	केवल वितरण कंपनी के पास
अन्य	

तालिका 32

प्रैंचाइजी की प्रशिक्षण समस्या

प्रैंचाइजी की भूमिका	स्पष्ट
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	वितरण कंपनी द्वारा एक बार
प्रशिक्षण की योजना	नहीं
प्रैंचाइजी द्वारा प्रस्तावित सुधार	नहीं
राज्य विद्युत बोर्ड और प्रैंचाइजी के बीच मुद्दे	प्रैंचाइजी को अदायगी समय पर नियमित रूप से की जानी चाहिए
चोरी	मामले घटे हैं
बिलिंग	वितरण कंपनी द्वारा। कोई समस्या नहीं
वसूली	प्रैंचाइजी द्वारा। कोई समस्या नहीं
राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दर्ज की गई शिकायत	लागू नहीं
उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत	प्रैंचाइजी ने कम की हैं